



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001/चैत्र 10, 1923
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001/CHAITRA 10, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांख्यिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 2000

सा.का.नि. 177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान
1	2	3	4
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसन्धीय	5500-175-9000 रु.

चयन-सह ज्येष्ठता या योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

5	6	7
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य ग्रहताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक ग्रहताएं प्रौद्योगिक व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	

11

12

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (2) जिन्होंने 5000—8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (3) जिन्होंने 4500—7000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (4) जिन्होंने 3000—6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) (1) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है, और
- (2) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से कृषि/वैद्यकीय प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है अथवा जिनके पास कार्य अध्ययन/संयुक्त और पद्धति/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान या अन्य

12

प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

साम्प्रतिक होता -

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/4/99-एड-I (सी)]

टी.जे. बैनर्जी, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 285, दिनांक 19-4-96 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th May, 2000

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further, to amend the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Research Assistant (Work Study), Ministry of Home Affairs Recruitment (Amendment) Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Research Assistant (Work Study)	2* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000/-

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	
5	6	7	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13		14
Deputation: Officers under the Central Government	Not applicable		Consultation with UPSC not necessary
(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or			
(ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; or			
(iii) with 6 years regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent; or			
(iv) with 10 years regular service in posts in the scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; and			
(b) Possessing the following Educational qualification and Experience.			
(i) Possessing Degree of a recognised University or equivalent; and			
(ii) completed successfully the Basic Management Services Course of Institute of Secretariat Training & Management or equivalent training from any other recognised institution or have atleast one year experience in the application of Work Study/Organisation & methods/Analytical/Statistical/Operations Research or other management research techniques.			
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this* ¹ appointment in			

the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

[File No. A-12018/4/99-Ad.I(C)]

T.J. BANERJEE, Under Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. 285, dated 19-4-86.

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2001

सा. का. नि. 178—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त, भारत और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (कलाकार बरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1987 और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1976, जहां तक इनका संबंध बरिष्ठ नक्शानवीस के पद से है, का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में बरिष्ठ नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्यालय निदेशालय (बरिष्ठ नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2001 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना प्रोक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
वरिष्ठ नक्शानवीस	91* (2000) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपक्षित, अननुसर्षिवीय	5500-175-9000 रुपये
यथा चयन-गुणावगुण या चयन-सह-वरिष्ठता अनुसार अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा	केन्द्रीय सेवा सिविल (पेंशन) निर्मावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुमेय है या नहीं
5	6	7	
चयन-सह-वरिष्ठता	30 वर्षों से अनधिक टिप्पणी :—1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी :—2. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अन्तिम तारीख नहीं)।	लागू नहीं	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य शर्तें	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए बिहित आयु और शैक्षिक शर्तें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
अनिवार्य : (क) (i) किसी माध्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष। (ii) किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्यिक अथवा ललितकला अथवा सिविल इंजीनियरिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष।	नहीं	सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वालों के लिए 2 वर्ष	

(iii) मानचित्र, चार्ट और रेखाचित्र बनाने में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1. :—अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी 2. :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि इनके लिए अशिक्षित रिक्तियों की भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

कृतीय :—डिस्क टाप अकाशन अथवा आटोकाड में दो वर्षों का अनुभव।

शुद्धि की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

5.0 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

इस अपग्रेडिड पद पर नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक तौर पर इस पद के 5500—9000 रुपये (संशोधित) के वेतनमान में अपग्रेडिड होने से पूर्व 1600—2660 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ कलाकार/वरिष्ठ नक़्शानवीस के पद पर नियमित रूप से कार्यरत और इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों की पात्रता पर विचार किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा और यदि वे अपग्रेडिड वेतनमान में नियुक्ति के पात्र न हों तो वे पदधारी 5000—8000 रुपये के संशोधित वेतनमान में रहेंगे और उनके मामलों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

12

प्रोन्नति :

ग्रेड में तीन वर्षों की नियमितसेवा वाले नक़्शानवीस टिप्पणी 1 : प्रोन्नति निदेशालय वार की जाएगी।

टिप्पणी 2 : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो से कम न हो और उन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) :

केन्द्रीय/राज्य सरकारी/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; अथवा

(2) जिन्होंने 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) कालम 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

बदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी सरचना

भर्ती करने समय किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| (1) भारत के महारजिस्ट्रार | —अध्यक्ष |
| (2) संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत | —सदस्य |
| (3) उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) | —सदस्य |

14

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय सब लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

[फा स. ए-12032/10/99-प्रशा. 2]

जयन्त कुमार बाठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 15th March, 2001

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India and the office of the Directors of Census Operations in the States and Union Territories (Artist/Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 1987 and Office of Registrar General, India (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1976 in so far as they relate to the post of Senior Artist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Draughtsman in the Office of the Registrar General, India, as well as the Directorates of Census Operation in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Draughtsman) Recruitment Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification, and the scale pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualification etc.—The method of recruitment, age

limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid;

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect any class or categories of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Draughtsman	91* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "B" Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5500—175—9000	Selection-cum-seniority

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 36 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational Qualification and other Qualification required for direct recruits
6	7	8
Not exceeding 30 years. Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government Note 2. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable	Essential- (i) Matriculation or equivalent of a recognised board. (ii) Diploma of two years duration in Commercial or Fine Arts Civil Engineering from a recognised University/Institute or equivalent. (iii) Three years experience in drawing of Maps, Charts and Diagrams. Note 1. Relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, If at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable: Two years experience in Desk Top Publishing or Autocad.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
No	Two years for direct recruits and promotees	50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract). 25% by deputation (including short-term contract)	PROMOTION: Draughtsman with three years regular service in the grade. Note 1. Promotion shall be made directoratewise.

25% by direct recruitment.

The suitability of the regular holding of the post of Senior Artist/Artist/Senior Draughtsman in the pre-revised scale of Rs. 1600-2660 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 5500-9000 (Revised) and having three years regular service in the grade will be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay the incumbents shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000-8000 and their cases would be reviewed every year.

Note 2. Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract).

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with three years regular service in post in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation :

1. Registrar General, India—Chairman
2. Joint Registrar General, India—Member
3. Deputy Registrar General (Map)—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2001

सा.का.नि. 179—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय एवं पदेन जनगणना कार्य अधीक्षक, [प्रांश प्रदेश, कार्यालय अधीक्षक और धनुषी (बर्ग II) धराजपत्रित] भर्ती नियम, 1971, जहाँ तक इनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, का अधीक्षण करते हुए, अधीक्षण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, जनगणना कार्य निदेशकों में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनिश्चय करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2001 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपपन्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में निर्दिष्ट हैं।

3 भर्ती की पद्धति, धातु-सीमा, वैश्विक अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, धातु-सीमा, वैश्विक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में निर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं: यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमोदित है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहाँ यह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और सबलोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्याप्ति: इन नियमों की कोई भी बात ऐसे धारकों, धातु-सीमा में छूट और अन्य रिहाइयों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना प्रयोजित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
कार्यालय अधीक्षक	58* (2001) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' धराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	5500-175-9000 रुपये
बर्ग II बर्गन-सह-वरिष्ठता/गुणावगुण अनुसार बर्गन अधिका अधिका पद है	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये धातु-सीमा	सेवा में जोड़े गये बर्गों का कारवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) निर्वाहवली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुमोदित है या नहीं	
5	6	7	
बर्गन-सह-वरिष्ठता	लागू नहीं	लागू नहीं	

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये बिहित आयु परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य महत्ताएं और शैक्षिक महत्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

लागू नहीं

लागू नहीं

प्रोन्नति वाली के लिये 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ब. प्र. 3. जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

11

12

85 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

इस अपग्रेडिड पद पर नियुक्ति के लिये प्रारम्भिक तौर पर इस पद के 5500-9000 रुपये (संशोधित) के वेतनमान में अपग्रेडिड होने से पूर्व 1600-2660 रुपये के पूर्व वेतनमान में मुख्य सहायक (जोकि कार्यालय अधीक्षक बना दिया गया है) के पद पर नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों की पात्रता पर विचार किया जायेगा। विचार करने पर पात्र कर्मचारियों को प्रारम्भिक गठन के अनुसार पद पर नियुक्त समझा जायेगा। विचार करने पर कर्मचारी (पात्र में हो तो) के अपग्रेडिड वेतनमान में नियुक्त न होने पर वे 5000-8000 रुपये के संशोधित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामलों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जायेगी।

प्रोन्नति :

सहायक के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा

टिप्पणी : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने ग्रहक/पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे बरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जायेगा बशर्त कि उनकी सेवा अपेक्षित ग्रहक/पात्रता सेवा की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ग्रहक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिये अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सक्षम पद धारण किये हों; अथवा

(ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समकक्ष वेतनमान वाले पदों में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) प्रशासनिक, लेखा और बजट संबंधी मामलों में 2 वर्ष का अनुभव हो।

[फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आबेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी सरचना

भी की करते समय किने परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- (1) भारत के महारजिस्ट्रार—अध्यक्ष
- (2) संयुक्त महारजिस्ट्रार, भारत—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय सब लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

[फा. स. ए. -12032/1/89-प्रशा.-2]

जयन्त कुमार बाठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

New Delhi, the 20th March, 2001

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Director of Census Operations and ex-officio Superintendent of Census Operations, [Andhra Pradesh, Office Superintendent and Investigator (Class-II-Non-Gazetted)] Recruitment Rules, 1971, insofar as they relate to the post of Office Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Offices of the Directors of Census Operations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Offices of Directors of Census Operations (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc.—The method of recruitment, age

limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be, provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection-merit or selection-cum-seniority or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent	58* (2001) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Selection-cum-seniority

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and Essential qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)	(12)

Two years for promotees	85% by promotion failing which by deputation. 15% by deputation. Note : The Suitability of the regular holder of the post of Head Assistant (since re-designated as Office Superintendent) in the pre-revised scale of Rs. 1600-2260 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 3500-9000 (revised) will be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed 'suitable' he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he shall continue to be in the revised scale of Rs. 3500-8000 and his case would be revised every year.	Promotion : Assistant with three years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officer under the Central/State Governments; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and (b) possessing two years experience in Administration, Accounts and Budget matters. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).
-------------------------	--	---

If a DPC exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Registrar General, India—Chairman
2. Joint Registrar General, India—Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an Officer on deputation.

[F. No. A-12032/1/99-Ad.II]

J. K. BANTHIA, Registrar General, India

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2001

सा.का.नि. 180.—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी काडर) नियम 1996 का प्राथमिक उपसंस्करण करते हुए इन बातों के सिद्धांत बिना ऐसे उपास्तरण से पहले किया गया है या करने के कोष किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (चिकित्सा अधिकारी काडर) भर्ती नियम 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि संघर्ष से अन्यथा प्रेषित न हो :—

(क) "काडर" से चिकित्सा अधिकारी काडर (समूह क) और विशिष्ट चिकित्सा अधिकारी काडर (समूह क) अभिप्रेत है

(ख) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है।

(ग) "श्रेणी" से काडर की श्रेणी अभिप्रेत है।

(घ) "अनुसूचित जातियों" "अनुसूचित जन जातियों" और "अन्य पिछड़े वर्गों" के सभी अर्थ हैं जो अधिकांश के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः उनके हैं।

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होंगे जो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 में हैं।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों से उपलब्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं। काडर में नियुक्त अधिकारी सुसंगत वेतनमान में अनुसूचित वेतन के प्रतिरिक्त प्रैक्टिस बंधी भत्ते, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) के अधीन विनिर्दिष्ट माध्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रथम स्नातकोत्तर उपाधि रखने के लिए स्नातकोत्तर भत्ते और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई वरों पर अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिए इस शर्त के अधीन हकदार होगा कि वेतन और प्रैक्टिस बंधी भत्ता और अन्य भत्ते सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होंगे।

4. भर्ती की प्रकृति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—इस पद पर भर्ती की प्रकृति आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. नियुक्ति :—केवल ऐसे अधिकारियों पर ही जो इन नियमों से उपलब्ध अनुसूची में पदविशिष्ट ग्रेड/पावता सेवा पूरी कर चुके हैं, उस श्रेणी (श्रेणियों) में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। परन्तु केवल वे अधिकारी ही, जो चिकित्सा प्रबंधन सेवा 1 के अन्तर्गत आते हैं, प्रोवेंसि, प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. सेवा का दायित्व :—इन नियमों के अधीन किसी भी प्रवर्ग के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के अधीन होगा।

7. प्राइवेट प्रैक्टिस :—इन नियमों के अधीन किन्हीं पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रैक्टिस जिसके अन्तर्गत परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस भी है, के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा।

8. अधिवाषिता.—काइर में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त उस मास के जिसमें ऐसा व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है अंतिम दिन के अपराह्न से प्रभावी होगा। परन्तु ऐसा अधिकारी जिसकी जन्म की तारीख किसी मास का प्रथम दिन है तो वह उस मास के, जिसमें ऐसा व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी अधिकारी को 60 वर्ष का सेवानिवृत्त की आयु से परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा। परन्तु यह कि चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति को 62 वर्ष की आयु तक विस्तार मंजूर किया जा सकेगा यदि ऐसा विस्तार ओक हित में हो और ऐसे विस्तार के लिए आधार लेखबद्ध किए जाएंगे।

परन्तु यह आर. कि समुचित प्राधिकारी को, स्थायी या अर्द्ध स्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन माह से अन्यून या अर्धस्थायी सरकारी सेवक की दशा में एक माह की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के स्थान पर वेतन और भत्ता देकर ऐसे विस्तार के समाप्त होने से पहले सेवा विस्तार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

9. ज्येष्ठता —काइर के विभिन्न प्रवर्गों/श्रेणियों के पदों पर नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गए साधारण आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

10. निरहता —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. सेना की अन्य शर्तें:—काइर में नियुक्त अधिकारी सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत, जिनका इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 और सीमा सुरक्षा बल नियम 1969 के अधीन होगा।

12. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

14. निर्वचन:—अगर इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1. निदेशक चिकित्सा	1* (एक) 2000	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपुत्रित अनुसूचिवीय योत्रक	18400-500-22400 रु.
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में ओडे गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
---	---	---

5

6

7

योग्यता के आधार पर चयन

हां

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8

9

10

लागू नहीं होता

नहीं

लागू नहीं होता

भर्ती की वृद्धि भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आभेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आभेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आभेदन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा

ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1 ज्येष्ठ वेतनमान में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष से अत्यून सेवा की है या जिन्होंने समूह "क" चिकित्सा पद पर कुल सत्रह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणी

प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी किए जाने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा

13

14

निदेशक (चिकित्सा) के पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी —

लागू नहीं होता

- | | |
|---|----------|
| 1 गृह सचिव | —अध्यक्ष |
| 2 विशेष सचिव, गृह मंत्रालय में पुलिस प्रभाग का भार संचालक | —सदस्य |
| 3 महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
| 4 महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा में एक अधिकारी, जो अतिरिक्त महानिदेशक की प्राप्ति में कम प्राप्ति का नहीं होगा | —सदस्य |

1	2	3	4
2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)	1. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी 3 निदेशक चिकित्सा योधक के पदों से प्रारंभ होने वाले 30 प्रतिशत ज्येष्ठ ड्यूटी पदों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस जी) में परिवर्तित किया जाएगा ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसन्धिय	14300-400-18300 रु.
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	हां	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (साधारण श्रेणी) में से, जिसमें समूह "क" पदों पर चौदह वर्ष नियमित सेवा की है ।		
13	14		
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) की श्रेणी में नियुक्ति के लिए छठनी समिति निम्नानुसार होगी —	लागू नहीं होता		
1. महानिदेशक, सीमा-सुरक्षा बल —अध्यक्ष			
2. महानिरीक्षक, सीमा-सुरक्षा बल —सदस्य			
3. गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की प्रास्थिति में कम प्रास्थिति का नहीं होगा —सदस्य			
4. निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल —सदस्य			
*अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ।			
1	2	3	4
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	*— *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसन्धिय योधक	12000-375-16500 रु.

5	6	7
नयन सह ज्येष्ठता	है	लागू नहीं होता
8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

11	12	13
प्रोन्नति	ऐसे ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, या चिकित्सा अधिकारी या ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा पूरी कर ली है, जिसने से कम से कम दो वर्ष की सेवा इन रिक्तियों से संबद्ध रहे बिना, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में की हो।	

13	14
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी :—	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—अध्यक्ष
2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
3. निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
4. गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव भारत सरकार की प्रास्थिति से कम प्रास्थिति का नहीं होगा	—सदस्य
5. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
*अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	

1	2	3	4
4. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी	*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजस्व, अनुसूचित योद्धा	10000-325-15200 रु.
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

5	6	7
नयन सह ज्येष्ठता	है	लागू नहीं होता
8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता
11	12	13

प्रोन्नति द्वारा	ऐसे चिकित्सा अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने इन रिक्तियों से संबद्ध हुए बिना उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
------------------	---

13

14

ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी —

लागू नहीं होता

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1 | महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल | —अध्यक्ष |
| * 2 | महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
| 3 | निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
| 4 | गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव भारत सरकार की प्रास्थिति से कम प्रास्थिति का नहीं होगा | —सदस्य |
| * 5 | उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |

*अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

1	2	3	4
5	चिकित्सा अधिकारी	336* प्लवमान पद (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिनीय (योधक) 8000-275-13500 रु

5	6	7
योग्यता के आधार पर चयन	हा	23 और 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए और सेवा चिकित्सा कोर के निर्मुक्त अधिकारियों के लिये 5 वर्ष तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 5 वर्ष तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। ट्रिप्पणी —आयु सीमा अवधारित करने के लिये ही निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ताकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के नद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अदमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।

8	9	10
(क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची	नहीं	सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों के लिये दो वर्ष

8

में सम्मिलित किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय संस्था से आयुविज्ञान में कोई डिग्री और उस अधिनियम के अधीन रखे गए किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकन।

(ख) अनिवार्य चक्रानुक्रमी निवासी डाक्टर वृत्ति।

(ग) शारीरिक मानदंड :—

(1) ऊंचाई 157.5 सेमी, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा के लिए 2 सेमी तक और आदिवासियों के बावत 3 सेमी तक शिथिल की जा सकती है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 142 सेमी।

(2) सीना : बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी महिला के लिए—सुविकसित

(3) वजन : ऊंचाई और आयु के अनुपात में।

(घ) शेष 1 चिकित्सा मानदंड

11

सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

12

(1) प्रतिनियुक्ति द्वारा :— ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन सदृश पद धारण किये हुए हैं और जिनके पास इस अनुसूची के स्तंभ 8 में विहित ग्रहताएं हैं।

(2) पुनर्नियुक्ति द्वारा :— सेना चिकित्सा कोर के ऐसे सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी जिनके पास स्तंभ 8 में विहित ग्रहताएं हैं। सेवा में व्यवधान दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

चिकित्सा अधिकारी के श्रेणी में सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन प्ण्टि के लिये चयन समिति निम्नानुसार होगी :—

14

लागू नहीं होता

- | | |
|---|----------|
| 1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल | —अध्यक्ष |
| * 2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
| 3. निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
| 4. गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव भारत सरकार की प्रास्थिति से कम प्रास्थिति का नहीं होगा | —सदस्य |
| * 5. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल | —सदस्य |
- *अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

टिप्पण :—केन्द्रीय पुलिस संगठन के लिए चिकित्सा अधिकारियों की सम्मिलित भर्ती की दशा में विशेष चयन समिति की संरचना इस प्रकार की जायेगी जैसा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु-मोदित किया जाए।

1	2	3	4
6 विशेषक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1	* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	14300-400-18300 रु.

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	हा	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

11	12
रिक्तियों से संबद्ध रहे बिना प्रोन्नति द्वारा	ऐसे विशेषक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 ज्येष्ठ वेतनमान में से जिन्होंने विशेषक श्रेणी 2 (ज्येष्ठ वेतनमान) 12000-16500 रु में छह वर्ष नियमित सेवा की है या 12000-16500 रु और 10000-15200 रु की श्रेणियों में कुल मिलाकर आठ वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है, और 12000-16500 रु की श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
विशेषक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 1 (ज्येष्ठ वेतनमान) के पद के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी —	लागू नहीं होता
1 महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल	—अध्यक्ष
*2 महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
3 निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
4 गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव भारत सरकार की प्राप्ति से कम प्राप्ति का नहीं होगा	—सदस्य
*5 उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	—सदस्य
*अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा	

1	2	3	4
7 विशेषक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-2 (ज्येष्ठ वेतनमान)	* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय, (योधक)	12000-375-16500/- रु.

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	हा	लागू नहीं होता

8	9	10
सामू नहीं होता	नहीं	सामू नहीं होता
11	12	
रिक्तियों से संबद्ध रहे बिना प्रोन्नति द्वारा ।	ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में रिक्तियों से संबद्ध रहे बिना 5 वर्ष नियमित सेवा की है ।	
13	14	

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 (ज्येष्ठ वेतनमान) के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी —

सामू नहीं होता

1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल —अध्यक्ष
 - * 2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल —सदस्य
 3. निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल —सदस्य
 4. गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो संयुक्त मन्त्रिभारत सरकार की प्रास्थिति से कम प्रास्थिति का नहीं होगा —सदस्य
 - * 5. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल —सदस्य
- *अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

1	2	3	4
8 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	*कुल 9 प्लवमान पद (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचित (योधक)	10000-325- 15200-र.
5	6	7	

योग्यता के आधार पर चयन

हां

35 वर्ष से अधिक नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किय गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी खण्ड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है ।

- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से आयुर्विज्ञान में डिग्री और उस अधिनियम के अधीन रखे गये किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकन नहीं सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये 2 वर्ष ।
- (ख) अनिवार्य चक्रानुक्रमी निवासी डाक्टर वृत्ति ।
- (ग) उसके पास अनुसूची 1 के खंड क या खंड ख में वर्णित संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य और संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा लेने के बाद 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिये ।
- (घ) शारीरिक मानदंड : (1) ऊँचाई — 157.5 सेमी गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊ, डोगरा और मराठा के लिये 2 सेमी तक और आदिवासियों की बावत 3 सेमी तक शिथिल की जा सकती है और महिला अभ्यर्थियों के लिये 142 सेमी ।
- (2) सीना — 77 सेमी बिना फुलाए और 82 सेमी फुलाकर । महिलाओं के लिये सुविकसित ।
- (3) वजन — ऊँचाई और आयु के अनुपात में ।

- सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । केवल आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जायेंगे । ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या सेना चिकित्सा कोर या स्वायत्त निकाय के अधीन सर्वश्रेष्ठ पद धारण किये हुये हैं और जिनके पास अनुसूची के स्तभ 8 में विहित अर्हताएँ हैं ।
- 50% आरक्षित पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की श्रेणी के अधिकारियों के नियम/पुष्टि के लिये विभागीय समिति जो निम्नानुसार होगी :—

लागू नहीं होता

1. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल—अध्यक्ष
2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल—सदस्य,
3. निदेशक (चिकित्सा) सीमा सुरक्षा बल—सदस्य
4. गृह मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव भारत सरकार की प्राप्ति से कम प्राप्ति का नहीं होगा—सदस्य,
5. उप महानिरीक्षक (कार्मिक) सीमा सुरक्षा बल—सदस्य

[का.सं. 17/106/97/कार्मिक/बी.एस.एफ.]

ए. अट्टाचार्य, सचिव

New Delhi, the 16th March, 2001

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in partial modification of the Border Security Force (Medical Officers Cadre) Rules, 1996 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force (Medical Officers Cadre) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the contexts otherwise requires :—

(a) "Cadre" means the Medical Officers Cadre (Group 'A') and Specialist Medical Officers Cadre (Group 'A').

(b) "Government" means the Government of India.

(c) "Grade" means the grade of the Cadre.

(d) "Scheduled Castes", "Scheduled Tribes" and "OBC" shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

(e) The words and expressions used herein but have not been defined shall have the same meanings assigned to them in Border Security Force Act, 1968 and Border Security Force Rules, 1969.

3. Numbers, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto. An officer appointed to the cadre shall be entitled to over and above pay admissible in the relevant scale, non-practicing allowance. Post graduate allowance for possessing recognised Post Graduate Diploma(s) or Post Graduate Degree(s) specified under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and other allowance at the

rates prescribed by the Government from time to time subject to condition that pay plus non-practicing allowance and other allowances does not exceed the maximum limit as may be prescribed by the Government from time to time.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Appointment.—Officers who have completed their qualifying/eligibility service as contained in the Schedules annexed to these rules, shall only be considered for appointment to the grade(s).

"Provided that only those officers who are in medical category SHAPE-1 shall only be eligible for appointment on promotion, deputation or re-employment.

6. Liability of service.—Any person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

7. Private practice.—No person appointed to any posts under these rules shall be permitted private practice including consultancy and laboratory practice.

8. Superannuation.—(1) The retirement of an officer holding a post in the cadre shall take effect from the afternoon of the last day of the month in which such officer attains the age of sixty years, provided that an officer whose date of birth is the first of a month, shall retire on the afternoon of the last day of the preceding month from service on attaining the age of sixty years.

(2) No officer shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years :

Provided that a Specialist in Medical field may be granted extension of service upto the age of sixty-two years if such extension is in public interest and the grounds for such extension are recorded in writing :

Provided further that the appropriate authority shall have the right to terminate the extension of service before the expiry of such extension of giving a notice in writing of not less than three months in the case of a permanent or a quasi-permanent Government servant or of one month in the case of temporary Government servant, or pay and allowance in lieu of such notice.

9. Seniority.—The inter-se-seniority of officers appointed to posts in different categories/grades of the cadre shall be determined in accordance with the general orders issued on the subject by the Central Government from time to time.

10. Disqualification:—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the cadre :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other

grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Other conditions of service.—The officer appointed to the cadre shall be subject to the Border Security Force Act, 1968 and Border Security Force Rules, 1969, as amended from time to time in respect of other conditions of service not specifically provided for in these rules.

12. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary to expedient to do, it may, by Order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection cum seniority or selection by merit
1	2	3	4	5
1. Director Medical	1* (one) 2000 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial combatised	Rs. 18400-500-22400	Selection by merit
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules, 1972).	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
6	7	8	9	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.		
10	11	12		
Not applicable	By promotion	From amongst the Chief Medical Officer (Selection Grade)/Specialist Medical Officer Grade—I, Senior scale with not less than three years regular service in the grade or with seventeen years total regular service in group 'A' medical posts. Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.		
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		
13		14		
Departmental Promotion Committee for the post of Director (Medical) shall be as follows:— 1. Home Secretary—Chairman 2. Special Secretary in charge of Police Division in the Ministry of Home Affairs—Member 3. Director General Border Security Force—Member 4. An officer not below the status of Additional Director General from the Director General Health Service—Member		Not applicable		
1	2	3	4	5
2. Chief Medical Officer (Selection Grade)	30 percent of Senior Duty posts starting from the posts of 1. Senior Medical Officer 2. Chief Medical Officer 3. Director Medical shall be converted to the post of Chief Medical Officer (SG)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial combatised	Rs. 14300-400-18300	Selection cum seniority
6	7	8	9	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	

10	11	12		
Not applicable	By promotion	From amongst the Chief Medical Officer (Ordinary Grade) who have rendered fourteen years regular service in Group 'A' posts.		
13		14		
Screening Committee for appointment of Chief Medical Officer to the grade of Chief Medical Officer (Selection Grade) shall be as follows:—		Not applicable		
1. Director General Border Security Force—Chairman				
2. Inspector General* Border Security Force—Member				
3. An officer not below the status of Joint Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs—Member				
4. Director (Medical) Border Security Force—Member				
(*To be nominated by the Chairman)				
1	2	3	4	5
3. Chief Medical Officer* (Ordinary Grade)	Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial combatised	Rs. 12000-375-16500	Selection cum seniority
6	7	8	9	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	
10	11	12		
Not applicable	By promotion	From amongst the Senior Medical Officer with six years regular service in the grade or on completion of ten years combined regular service as Medical Officer and Senior Medical Officer of which atleast two years shall be as Senior Medical Officer, without linkage to the vacancies.		
13			14	
Departmental Promotion Committee for the post of Chief Medical Officer shall be as follows:—			Not applicable	
1. Director General Border Security Force—Chairman				
2. Inspector General* Border Security Force—Member				
3. Director (Medical) Border Security Force—Member				
4. An officer not below the status of Joint Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs—Member				
5. Deputy Inspector General* Border Security Force—Member				
(*To be nominated by the Chairman)				

1	2	3	4	5
4. Senior Medical Officer	*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial combatised	Rs. 10000-325-15200	Selection cum seniority
6	7	8	9	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	
10	11	12		
Not applicable	By promotion	By promotion from amongst the Medical Officer with four years regular service in the grade without linkage to vacancies.		
	13	14		
Departmental Promotion Committee for the post of Senior Medical Officer shall be as follows:—			Not applicable	
1. Director General Border Security Force—Chairman				
2. Inspector General* Border Security Force—Member				
3. Director (Medical) Border Security Force—Member				
4. An officer not below the status of Deputy Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs—Member				
5. Deputy Inspector General* Border Security Force—Member				
(*To be nominated by the Chairman)				

1	2	3	4	5
5. Medical Officer	*336 Floating posts (2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. (Combatised).	Rs. 8000-275-13500.	Selection by merit.
6	7	8	9	
Yes.	Between 23 and 30 years. (Relaxable for Government servants and released Army Medical Corps officers upto five years, Scheduled Caste/ Scheduled Tribes upto five years, OBC upto three years in accordance with the ins-	(a) A degree in Medicine from a recognised University/ Institution included in the First Schedule or the Second schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and enrolment in any State Medical Registers	No	

- tructions or orders issued by the Central Government from time to time.
- Note : (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba Disirict of Himachal Pradesh, the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
- (b) Compulsory rotatory internship.
- (c) Physical standard :
- (i) Height 157.5 cms relaxable by 2 cms for Gorkhas, Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and by 3 cms in respect of Adihyasis and 142 cms for female candidates.
- (ii) Chest : Unexpanded 77 cms and expanded 82 cms. For female—Well developed.
- (iii) Weight : Proportionate to height and age.

(10)	(11)	(12)
2 years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation/re-employment.	(I) By deputation : Medical officers holding analogous posts under the Central or State Government or Public Sector Undertakings Autonomous bodies possessing qualifications prescribed in column 8 of this schedule. (II) By re-employment. Retired Medical Officers of Army Medical Corps possessing qualifications prescribed in column 8 (Break in service should not be more than 2 years). Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the date of receipt of application.
(13)		(14)
Selection committees for direct recruitment/deputation/re-employment/confirmation to the grade of Medical Officer shall be as follows :—		Not applicable.
(1) Director General, Border Security Force	—Chairman	
(2) Inspector General*, Border Security Force	—Member	

- (3) Director (Medical), Border Security Force —Member
 (4) An officer not below the status of Deputy Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs —Member
 (5) Deputy Inspector General*, Border Security Force —Member
 (*To be nominated by the Chairman).

Note : In the event of combined recruitment of Medical officers for Central Police Organisations, the composition of Special Selection Committee shall be such as approved by the Central Government from time to time.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Specialist Medical Officer Grade-I	*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Rs. 14300-400-18300.	Selection-cum-Seniority.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	
(10)	(11)	(12)		
Not applicable	By promotion without linkage to vacancies	From amongst the Specialist Medical Officer Grade-II Senior Scale with six years regular service in the Specialist Grade-II (Senior Scale) Rs. 12000—16500 or with total of eight years combined regular service in the grade of Rs. 12000—16500 and Rs. 10000—15200 and minimum two years regular service in the grade of Rs. 12000—16500.		
	(13)	(14)		
Departmental Promotion Committee for the posts of Specialist Medical Officer Grade-I (Senior Scale) shall be as follows :—			Not applicable.	
(1) Director General, Border Security Force	—Chairman			
(2) Inspector General*, Border Security Force	—Member			
(3) Director (Medical), Border Security Force	—Member			
(4) An officer not below the status of Joint Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs	—Member			
(5) Deputy Inspector General*, Border Security Force	—Member			
*(To be nominated by the Chairman).				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Specialist Medical Officer Grade-II (Senior Scale)	— *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 12000-375-16500.	Selection-cum-Seniority
(6)	(7)	(8)	(9)	
Yes	Not applicable	Not applicable	No	
(10)	(11)	(12)		
Not applicable	By promotion without linkage to vacancies	From amongst the Specialist Medical Officer with five years regular service in the grade without linkage to vacancies.		

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee for the posts of Specialist Medical Officer Grade-II (Senior Scale) shall be as follows :—	Not applicable.
(1) Director General, Border Security Force	—Chairman
(2) Inspector General*, Border Security Force	—Member
(3) Director (Medical), Border Security Force	—Member
(4) An officer not below the status of Joint Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs	—Member
(5) Deputy Inspector General*, Border Security Force	—Member
(*To be nominated by the Chairman).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Specialist Medical Officer	Total 9 (Nine) floating posts (2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, (Combatised)	Rs. 10000-325-15200.	Selection by merit.
(6)	(7)	(8)	(9)	
Yes	Not exceeding 35 years. (Relaxable by five years in respect of Government servants, Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and by three years for OBCs in accordance with the instructions issued by Central Government from time to time.	(a) A degree in Medicine from a recognised University/ Institution included in the First Schedule or the Second Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and enrolment in any State Medical Register maintained under that Act.	No.	

(7)	(8)
Note : (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(b) Compulsory rotatory internship. (c) Should also possess PG degree/diploma in the concerned speciality mentioned in Section 'A' or Section 'B' in Schedule-I or equivalent and three years experience in the concerned speciality after obtaining PG degree or 5 years experience after obtaining PG diploma. (d) Physical Standard : (i) Height 157.5 cms relaxable by 2 cms for Gorkhas, Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas & by 3 cms in respect of Adivasis and 142 cms for female candidates. (ii) Chest : Unexpanded 77 cms and expanded 82 cms. For female : Well developed. (iii) Weight : Proportionate to height and age.

(10)	(11)	(12)
2 years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation. Only unreserved post will be filled by deputation. 50 percent of reserved quota will be filled only by direct recruitment.	By deputation of Specialist Medical Officer holding analogous post under Central/State Government or Public Sector Undertakings or Army Medical Corps or Autonomous bodies & possessing qualifications as prescribed in column No. 8 of this Schedule. Note : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Departmental Committee for selection/confirmation of Officers in the grade of Specialist Medical Officers shall be as follows :-- (1) Director General, Border Security Force —Chairman (2) Inspector General, Border Security Force —Member (3) Director (Medical), Border Security Force —Member (4) An officer not below the status of Deputy Secretary to the Government of India from the Ministry of Home Affairs —Member (5) Deputy Inspector General (Personnel), Border Security Force —Member	Not applicable

[No. 17/106/97-Pers/BSF]
A. BHATTACHARYYA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2001

सा.का.नि. 181 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपर विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1984, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (उप विधि सलाहकार) भर्ती नियम, 1975 और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अभियोजन स्टाफ) भर्ती नियम, 1980 की उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले विद्या गया है या करने में लोप किया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विधि सलाहकार और अभियोजकों के विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जोवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और इस ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1. अपर विधि सलाहकार	6*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचित	14,300-400-18,300/-
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षक	रक्षक

योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्योष्ठता अथवा अभ्ययन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रेय है या नहीं
--	---	--

5

6

7

योग्यता के आधार पर चयन

50 वर्ष से अधिक नहीं

हैं।
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई, अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

8

9

10

आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में डिग्री या समतुल्य।

आयु : नहीं
शैक्षिक अर्हताएं : हा

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(ii) अधिवक्ता के रूप में बारह वर्ष का व्यावसायिक अनुभव या किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में बारह वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 —अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 —अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेन द्वारा भर्ती की वशा में व श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे उप विधि सलाहकारों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 12000—16500 रु. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : 14300—18300 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 3700—5000 रु.

के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में अपर विधि सलाहकार के पद के ऐसे नियमित धारकों की जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता प्रारंभिक रूप से आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन्हें प्रारंभिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे 12000—16500 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :—

सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (सतर्कता) या अपर सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य
4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :—

1. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —अध्यक्ष
2. अपर निदेशक या विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य
3. विधि सलाहकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य

1

2

3

4

- | | | | |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| 2. उप विधि सलाहकार | 20 th
(2000)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क',
राजपत्रित अननुसन्धीय | 12,000-375-16500/-रु. |
|--------------------|--|--|-----------------------|

5

6

7

योग्यता के आधार पर चयन

50 वर्ष से अधिक नहीं

हां

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आवेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंरमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8

9

10

आवश्यक :

नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य।

(ii) अधिवक्ता के रूप में दांडिक मामलों का संचालन करने का दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

टिप्पण :—1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

बाछनीय :

लोक अभियोजक/सरकारी अधिवक्ता के रूप में अनुभव।

11

12

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :—ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षों नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या बीस वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :-—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :-—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर मद्गुण पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने 10,000-15,200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : 12,000-16,500 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 3000-5000 रु. के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में उप विधि सलाहकार के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, नियुक्ति के लिए उपयुक्तता आरंभिक रूप से आयोग के आरंभिक गठन के समय आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे 10,000-15,200 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :—

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
 1. निदेशक/विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य
 3. संयुक्त सचिव (सतर्कता) या अपर सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य
 4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य
- समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :—
1. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —अध्यक्ष
 2. अपर निदेशक/विशेष निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य
 3. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य

सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने समथ संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4
3. ज्येष्ठ लोक अभियोजक	67* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसूचिकीय	10,000-325-15,200 रु.
5	6	7	
अयत-सह-ज्येष्ठता	40 वर्ष से अधिक नहीं	हों	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण :	आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

8

9

10

आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य।

नहीं

सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये एक वर्ष

(2) अधिवक्ता के रूप में वार्षिक मामलों का संचालन करने का आठ वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की वशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब अथन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11

12

1. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2. 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
3. 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे लोक अभियोजकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो जहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये है; या
- (2) जिन्होंने 8,000—13,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये स्तंभ 3 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(वोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।)

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये बिना किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रान करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : 10,000-15,200 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 2200-4000 रु. के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में ज्येष्ठ लोक अभियोजक के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, उन्नयित पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्तता आरंभिक रूप से निर्धारित की जायेगी। यदि उन्हें नियुक्ति के लिये उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन पदधारियों को आरंभिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे पदधारी 8000-13,500 रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जायेगा।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पृष्ठ के संबंध में विचार करने के लिए) :—

- | | |
|--|----------|
| (i) निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | —सदस्य |
| (iii) अपर सचिव (सर्कता)/संयुक्त सचिव (सर्कता),
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग | —सदस्य |
| (iv) विधि सहायकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | —सदस्य |

सी.डी. भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4
4. लोक अभियोजक	96* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अन्तःसचिबीय	8000-275-13,500- रु.

5

6

7

चयन-सह-अपेक्षा

35 वर्ष से अधिक नहीं

हैं

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिसे तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8

9

10

आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य।

नहीं

सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(2) वार्षिक मामलों का संचालन करने का सात वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरणे के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11

12

1. 20 प्रतिशत प्रोन्नति दाय, जिसके सहो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2. 55 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
3. 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे सहायक लोक अभियोजक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक सेवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ

व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन . केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (2) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

नोट (प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : 8000-13,500 रु. (पुनरीक्षित) वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व 2375-3500 रु. के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में लोक अभियोजक के पद के ऐसे नियमित धारकों की, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, उन्नयित पद की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता प्रारंभिक रूप से आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी। यदि उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उन पदधारियों को प्रारंभिक गठन के समय उस पद पर नियुक्त समझा जाएगा। यदि उन्हें उन्नयन वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वे पदधारी 7450-11,500 के पुनरीक्षित वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जायेगा।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये :—

1. अध्यक्ष/सदस्य, सच लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य

प्रत्येक अवसर पर सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

3. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता),
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य
4. विधि सलाहकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य
समूह 'क' विभागीय प्रगति समिति, पुष्टि के संबंध में
विचार करने के लिए :—
1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—अध्यक्ष
2. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता),
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य
4. विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो—सदस्य

1	2	3	4
5. सहायक लोक अभियोजक	41* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसन्धिवीय	6500-200-10,500 रु.
5	6	7	
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं	

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या
आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष
तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण . आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि
वर्द्ध अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम
जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश
के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के
पागी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष-
द्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

8	9	10
आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ii) दंडिक मामलों का संचालन करने का तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।		
टिप्पण 1 —अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब ध्यान के किसी प्रक्रम पर सच लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
टिप्पण किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां नियुक्त प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सृजन पद धारण किये हुए है, या (ii) जिन्होंने 5500—9000 रु के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और	
4 (ख) जिनके पास स्तर 8 के अधीन सीजे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	

13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के सबंध में विचार करने के लिए) —	सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1 संयुक्त सचिव (संरचना) या अवर सचिव (संरचना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —अध्यक्ष	
2 संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और विशेष पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापन (प्रशासन का भारमाधक) —सदस्य	
3 विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य	

[फा स 213/3/98-ए बी डी-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 27th March, 2001

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Additional Legal Adviser) Recruitment Rules, 1984, the Central Bureau of Investigation (Deputy Legal Adviser) Recruitment Rules, 1975, and the Central Bureau of Investigation (Prosecutions Staff) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts of Legal Advisers and Prosecutors in Central Bureau of Investigation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification:—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, except any persons from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Additional Legal Adviser	*6 (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14300-400-18300	Selection by merit
Age limit for direct recruits		Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	
6		7	8	
Not exceeding 50 years.		Yes	Essential:	
Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.			(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent.	
NOTE: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of			(ii) Twelve years' practice as an advocate or twelve years' experience in a State Judicial Service or Legal Department	

6

applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

8

of a State or Central Government.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentages of the post to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
--	-----------------------------	---	--

9

10

11

12

Age : No
Educational Qualifications: Yes

One year for direct recruits

Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment

Promotion : From amongst Deputy Legal Advisers with five years' regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central/State Governments:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 12,000-16,500 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation).

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications).

Note : The suitability of the regular holders of the post of Additional Legal Adviser in the pre-revised scale of Rs. 3700-5000 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 14300-18300 (revised) and having five years' regular service in the grade will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 12000-16500 and their cases would be reviewed every year.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Director or Special Director Central Bureau of Investigation—Member
3. Joint Secretary (Vigilance) or Additional Secretary (Vigilance) Department of Personnel and Training—Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

4. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation—Member
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Additional Secretary (Vigilance) or Joint Secretary (Vigilance),
Department of Personnel and Training—Chairman

2. Additional Director or Special Director, Central Bureau of
Investigation—Member

3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation—Member

1	2	3	4	5
2. Deputy Legal Adviser	20*(2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 12000-375-16500	Selection by merit

6	7	8
Not exceeding 50 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions on orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaúl and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Yes.	Essential: (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Ten years' practice as an advocate in conducting criminal cases. Note 1: Qualifications are relaxable at the dis- cretion of the Union Public Service Com- mission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding expe- rience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commis- sion is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities posses- sing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable : Experience as Public Prosecutor/Government Advocate.

9	10	11	12
	One year for direct recruits.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion : From amongst Senior Public Prosecutors with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered pro- vided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more

than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers under the Central/State Governments :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 10000-15200 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation).

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application).

Note :—The suitability of the regular holders of the post of Deputy Legal Adviser in the pre-revised scale of Rs. 3000—5000 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 12000—16500 (revised) and having five years' regular service in the grade will be initially assessed by the Commission for appointment to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, they shall continue to be in the revised scale of Rs. 10000—15200 and their cases would be reviewed every year.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Director/Special Director, Central Bureau of Investigation—Member.
3. Joint Secretary (Vigilance) or Additional Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training—Member
4. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation—Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training—Chairman
2. Additional Director/Special Director, Central Bureau of Investigation—Member
3. Legal Adviser, Central Bureau of Investigation—Member

1	2	3	4	5
3. Senior Public Prosecutor	67* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-ministerial.	Rs. 10000-325-15200	Selection-cum-seniority.

6	7	8
Not exceeding 40 years.	Yes	Essential :
Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.		(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Eight years' practice as an advocate in conducting criminal cases.
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9	10	11	12
No	One year for direct recruits.	1. 50 percent by promotion failing which by deputation. 2. 25 percent by direct recruitment. 3. 25 percent by deputation/absorption.	Promotion Public Prosecutor with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation/Absorption :— Officers under the Central/State Governments : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation). Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note :—The suitability of the regular holders of the post of Senior Public Prosecutor in the pre-revised scale of Rs. 2200—4000 prior to upgradation of

this post in the scale of Rs. 10000-15200 (revised) and having five years' regular service in the scale will be initially assessed for appointment to the upgraded post. If assessed suitable for appointment the incumbents shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, the incumbents shall continue to be in the revised scale of Rs. 8000-13500 and their cases would be reviewed every year.

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation/absorption.

- (i) Director, Central Bureau of Investigation—Chairman
- (ii) Additional Director/Joint Director, Central Bureau of Investigation—Member
- (iii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training—Member
- (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation—Member

1

2

3

4

5

4. Public Prosecutor

*96
(2000)
*Subject to
variation
dependent on
workload.

General Central Service,
Group 'A',
Gazetted,
Non-Ministerial.

Rs. 8000-275-13500.

Selection-cum-
seniority.

6

7

8

Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Yes.

Essential :

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent.

(ii) Seven years' practice at the Bar in conducting criminal cases.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discre-

6

8

Division of Jammu and Kashmir State,
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-
Division of Chamba District of Himachal
Pradesh, Andaman and Nicobar Islands
or Lakshadweep).

tion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

9	10	11	12
No.	One year for direct recruits and promotees	20 percent by promotion failing which by deputation. 55 percent by direct recruitment. 25 percent by deputation/absorption.	Promotion : Assistant Public Prosecutor with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation/Absorption : Officers under the Central/State Governments : (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent; and - possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation). Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note : The suitability of the regular holders of the post of Public Prosecutor in the pre-revised scale of Rs. 2375—3500 prior to upgradation of this post in the scale of Rs. 8000—13500 (revised) and having three years' regular service in the grade will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable for appointment the incumbents shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay, the incumbents shall continue to be in the revised scale of pay of Rs. 7450—11500 and their cases would be reviewed every year.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

- (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
- (ii) Director/Joint Director, Central Bureau of Investigation —Member
- (iii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training —Member
- (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

- (i) Director, Central Bureau of Investigation —Chairman
- (ii) Additional Secretary (Vigilance)/Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training —Member
- (iii) Joint Director, Central Bureau of Investigation —Member
- (iv) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation —Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1	2	3	4	5
5. Assistant Public Prosecutor	41* (2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500.	Not applicable.
6	7	8		
Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No.	Essential : (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent. (ii) Three years' practice at the Bar in conducting criminal cases. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		
9	10	11	12	
Not applicable	Two years	Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With three years' regular service in	Not applicable	

posts in the scale
of Rs. 5500—9000
or equivalent; and

- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

- (1) Joint Secretary (Vigilance) or Additional Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training

—Chairman

- (2) Joint Director, Central Bureau of Investigation and Special Inspector General of Police, Special Police Establishment (Incharge of Administration)

—Member

- (3) Legal Adviser, Central Bureau of Investigation

—Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 213/3/98-AVD.II]

HARI SINGH, Under Secy.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2001

सा.का.नि. 182.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में समूह ग (अनुसूचित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहताएं आदि :—उक्त भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहताएं आदि और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 8 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सधार हुरकारा	1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसंधीय	3050-75-3950-80-4590 रु०
अन्य पद अथवा अन्वयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	
5	6	7	
लागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण:—आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की वशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।	

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
या नहीं

परीबीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8	9	10
अनिवार्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(1) मोटर साईकिल/मोटो रिक्शा की विधिभान्य धारण अनुज्ञप्ति हो।		
(2) मोटर साईकिल/मोटो रिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव।		
(3) मोटर साईकिल/मोटो रिक्शा यंत्र क्रिया का ज्ञान (पबकारी), यानों की छोटी-मोटी छुटियों को सुधारने में समर्थ हों।		
(4) अंग्रेजी और हिन्दी को पढ़ने में योग्य हो।		
वांछनीय :		
(1) आठवीं स्तर पास होमगार्ड/सिबिल रक्षा स्वयंसेवक के रूप में अनुभव।		
टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये प्रारंभित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा और भरे जानेवाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा	

11

12

प्रतिनियुक्ति पर आमेलन द्वारा/पुनर्नियोजन/आपेक्षित द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रतिनियुक्ति पर आमेलन/आमेलन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में ऐसे नियमित समूह व कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित सचिव/हकराओं/समूह व कर्मचारियों में से, जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये स्तम्भ 8 में विहित अर्हताएं और अनुभव है

भूतपूर्व सैनिकों के लिये;

सशस्त्र बल के ऐसे कामियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर जाने रहने दिया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता

(पुष्टि के मामलों के संबंध में विचार करने के लिये) :

निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

—अध्यक्ष

प्रवर सचिव/(स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

—सदस्य

उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

—सदस्य

[सं. 13040/15/2000-अनु.जा.वि.-VI]

डा. थॉमस मैथ्यू, निदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPLOYMENT(National Commission for Scheduled Castes and
Scheduled Tribes)

New Delhi, the 12th March, 2001

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' (Ministerial) posts in the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with regard to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Selection cum-Seniority or selection by merit
1	2	3	4	5
Despatch	1*	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950 80-4590	Not applicable

*Subject to variation
dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Possession of a valid driving licence for Motor-Cycles/Autorickshaw. (ii) Two years' experience in driving Motor-Cycle/Autorickshaw. (iii) Knowledge of Motorcycle/Autorickshaw mechanism (The incumbent should be able to remove minor defect in the Vehicles). (iv) Ability to read English and Hindi Desirable: (i) A pass in the 8th Standard. (ii) Experience as Home Guards/Civil Defence Volunteers. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable	2 years	By absorption on deputation/re-employment absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation/absorption From amongst regular Group 'D' employees in the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes failing which from regular Despatch Riders/Grade 'D' Employees from other Ministries/Departments of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in Col. 8.

For Ex-Servicemen
Deputation/re-employment

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be absorbed to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

Director/Deputy Secretary (Administration),
National Commission for Scheduled Castes and
Schedule Tribes

—Chairperson

Under Secretary (Establishment), National Commission
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

—Member

Deputy Director, National Commission for Scheduled
Castes and Scheduled Tribes

—Member

[No. 13040/15/2000-SCD-VI]

Dr. THOMAS MATHEW, Director

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2001

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य और कृषि मंत्रालय खाद्य विभाग (संचालन निरीक्षक) भर्ती नियम, 1963 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन संचालन निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) संचालन निरीक्षक भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण उसका और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य ग्रहणाएं: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा ग्रहणाएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति -

यहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें निम्नवत् करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की वादन, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई, बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अवैध है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
संचालन निरीक्षण	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, भ्रमण 'ख' अग्राजपत्रित और अनुसूचित	5500-175-9000 रु.
योग्यता के आधार पर चयन चयन- मंड-जोड़ना या अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
(5)	(6)	(7)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	
मौखिक परीक्षा दिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित लिखित और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लिखित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रामेक्षण द्वारा भर्ती की वषा में प्रतिनियुक्ति/ग्रामेक्षण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ग्रामेक्षण किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सर्वश्रेष्ठ पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 5000-8000 रुपये के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा हैं; और

(ख) जिनके पास अनाजों के रेल संचलन/संचलन से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काबज-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/99-स्था.-II]

एम. एल. मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)
New Delhi, the 19th March, 2001

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Food and Agriculture, Department of Food (Movement Inspector) Recruitment Rules, 1963 except as respects things done or omitted to have been done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Movement Inspector under the Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution, (Department of Food and Public Distribution), namely :—

846 GI/2001—9

1. Shore title and commencement.—(1) These Rules may be called the Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, (Movement Inspector) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number, classification and Scale of Pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in Columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds

for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded by writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time to this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection-cum-seniority or selection by merit post or Non-selection	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
Movement Inspector	1* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted and Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	N.A.	N.A.
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation or by absorption and percentage of posts to be filled by various methods	
7	8	9	10	11	
No	N.A.	N.A.	N.A.	Deputation	
In case of recruitment by promotion/Deputation/absorption, grades from which Promotion/Deputation/absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted while making recruitment	
12		13		14	
Deputation : Officers of the Central Government (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or		N.A.		Consultation with UPSC not necessary.	

(ii) With 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and

(b) Possessing 2 years' experience in work relating to rail movement/movement of foodgrains.

(Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F.No. A-12018/1/99-E-II]

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 184 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम 1964 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया है खान मंत्रालय के भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षण नवशानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खान ब्यूरो (अधीक्षण नवशानवीस) भर्ती नियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका/उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से सम्बद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातों के होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरुद्धता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के अतिरिक्त रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परम्पु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जात है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमोदित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, जैसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संघ में समसमय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और घायल दिवंगत प्रभु के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान
1	2	3	4
अधीक्षण नवमानवीस	2* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' श्रेणी (अनुसूचित)	5500-175-9000

अधन सह ज्येष्ठता योग्यता के आधार पर अधन अथवा अधन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनु-ज्येष्ठता है या नहीं

5	6	7
अधन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की वंशा में लागू होंगी या नहीं परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की वंशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रेखा चित्र) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।

टिप्पणी : यहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब की उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम नहीं और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

13

14

समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

1. खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो —अध्यक्ष
2. अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो—सदस्य
3. भारतीय खान ब्यूरो से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित समूह के अधिकारी —सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य

[फा. सं. 22/3/98—एम-3]

अरूणा बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 13th March, 2001

G.S.R.184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Class I & II Posts) Recruitment Rules 1964, in so far as they relate to the post of Superintending Draftsman, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintending Draftsman in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines namely :—

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Superintending Draftsman) Recruitment Rules, 2001.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns (5) to (14) of the said schedule.
4. Disqualification—No person, shall be eligible for appointment to the said post :
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contract a marriage with any person, provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the persona law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintending Draftsman	2* (2001) *Subject to variation dependent on work-load,	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 5500-175-9000	Selection-cum-seniority	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)	(8)		(9)	(10)	
No	Not applicable		Not applicable	Two years	

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)	(12)
By promotion	Promotion : Senior Technical Assistant (Drawing) with three years service rendered after appointment thereto on a regular basis. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :

1. Controller of Mines, Indian Bureau of Mines—Chairman
2. Superintending Mineral Economist, Indian Bureau of Mines—Member
3. Group 'A' Officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes Community from Indian Bureau of Mines—Member
4. Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines—Member

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 22/3/98-M.III]

ARUNA BAGCHEE, Joint Secy

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 185.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i), धारीख 21-2-87 में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 107 तारीख 28-1-87 द्वारा प्रकाशित वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (कनिष्ठ प्राशुलिपिक पुनः पदाभिहित प्राशुलिपिक श्रेणी -3) भर्ती नियम में।

2. वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (कनिष्ठ प्राशुलिपिक पुनः पदाभिहित प्राशुलिपिक श्रेणी 3) भर्ती नियम 1987 की अनुसूची के स्तम्भ सं. 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात:-

- (i) मैट्रिक या समतुल्य।
- (ii) प्राशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति।

[फा. सं. 13-7/99-नीपी-II]

जी. सुब्रमणि, ज्वर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th March, 2001

G.S.R. 185.—In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Junior Stenographer re-designated as Stenographer Grade-III) Recruitment Rules, 1987, published vide Government of India notification No. 107 dated the 28-1-87 in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) dated 21-2-87.

In the Schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Junior Stenographer (re-designated as Stenographer Grade-III) Recruitment Rules, 1987 for the entry under Column No. 8 of the schedule the following entry shall be substituted namely:—

- (i) Matriculation or equivalent.
- (ii) A speed of 80 w.p.m. in Stenography.

[F. No. 13-7/99-PP.II]

G. SUBRAMANI, Under Secy.

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2001

सा. का. नि. 186—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित निर्माण और आवास मंत्रालय (समूह क तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1978 को, जहाँ तक उनका संबंध उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लौप किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी), भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाय्य अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—अहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी)	2* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय	12000-375-16500 रु.

चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
---	---	---

5	6	7
योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख-खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित की गई है)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8

9

10

आवश्यक :

आयु : नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

शैक्षिक अर्हताएं : हां

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।

(iii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में जिसके अंतर्गत जल मलवाही संस्थापन का अन्वेषण डिजाइन, संनिर्माण और संक्रिया भी है, 8 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : 1 -- अर्हताएं अन्यथा सुगृहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी : 2 -- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अभिलेख द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेख द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अभिलेख किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : -- ऐसा सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति : -- (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) -- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्धसरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :--

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने 10000-15200 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

और

(पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय —सदस्य
3. सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) —सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.) का भारमाधक, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय —सदस्य
3. संयुक्त सचिव, जल प्रदाय और सफाई का भारमाधक, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय —सदस्य
4. सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) —सदस्य

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति/संविदा पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12011/1/98-प्रशा.-I]

नीरज कुमार, उप सचिव

पाठ टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1349, 11-11-1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उनमें संशोधन किए गए :—

- (1) सा. का. नि. 810, तारीख 16-6-1984
- (2) सा. का. नि. 67, तारीख 24-1-1987
- (3) सा. का. नि. 928, तारीख 12-12-1987
- (4) सा. का. नि. 35, तारीख 30-1-1999

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 14th March, 2001

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Works and Housing (Group A Technical Posts) Recruitment Rules, 1978 as amended from time to time, in so far as they relate to the posts of Deputy Adviser (Public Health Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Adviser (Public Health Engineering) in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Deputy Adviser (Public Health Engineering) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay etc.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Adviser (Public Health Engineering)	*2 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	12000-375-16500	Selection by merit
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees	
(6)	(7)	(8)	(9)	
**Not exceeding 50 years.	Not applicable	Essential : (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent	Age : No Educational Qualifications : Yes	
** (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the				

(6)	(7)	(8)	(9)
instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).		(ii) Post-graduate degree or Post-graduate diploma in Public Health Engineering of a recognised University/Institution or equivalent. (iii) 8 years' experience in Public Health Engineering including investigation, design construction and operation of water sewerage installation. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)	(12)
One year for direct recruits	Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion : Assistant Adviser (Public Health Engineering) with 5 years' regular service in the grade. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service

(9)	(10)	(11)	(12)
			in posts in the scale of Rs. 10,000-15,200 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For Considering Promotion) : - Chairman/Member, Union Public Service Commission, —Chairman - Joint Secretary (Administration), Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation —Member - Adviser (Public Health Environmental Engineering) —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : - Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation —Chairman - Joint Secretary, In-charge of the Administration, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation —Member			Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputations/contract

(13)

3. Joint Secretary,
In-charge of Water Supply and Sanitation,
Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation,
—Member
4. Adviser (Public Health & Environmental Engineering)
—Member

[F.No.A-12011/1/98-Adm.I]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. GSR-1349 dated 11-11-1978 and subsequently amended vide notifications as per details given below :

- | | |
|---------------|------------------|
| (i) GSR 610 | dated 16-6-1984 |
| (ii) GSR 67 | dated 24-1-1987 |
| (iii) GSR 928 | dated 12-12-1987 |
| (iv) GSR 35 | dated 30-1-99 |

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2001

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड 3(1) सा.का.नि. 763 तारीख 14 जुलाई, 1984 में प्रकाशित निर्माण और आवास मंत्रालय, सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) भर्ती नियम, 1984 और शहरी विकास मंत्रालय सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए ; जिन्हें ऐसे अधिश्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) भर्ती नियम 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वापस, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. ध्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य दिग्गद वगैरह और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी)	1* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित अनुसूचिवीय	18400-500-22400 रु.
योग्यता के आधार पर चयन या सह-ज्येष्ठता अथवा अन्वयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा		सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7	
योग्यता के आधार पर चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंधमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	नहीं	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
8	9	10	
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय ने सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	

- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य
- (iii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में जिसके अंतर्गत जल प्रदाय और मल वहन संस्थापन के अन्वेषण डिजाइन संनिर्माण और प्रचालन भी है, 15 वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी :

1. अर्हताएं अन्यथा सुग्राहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।
2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पार्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :
ऐसा उपसलाहकार (लोक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरी) जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है ।
प्रतिनिधुक्ति :

(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) — केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्ध सरकारी स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने 16400-20000 ह. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है, या

(3) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित की सेवा की है।

(ब) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

और

(गोचक प्रयोग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काबज बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत धल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
2. सचिव, ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय — सदस्य
3. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय — सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)

1. सचिव, ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय — अध्यक्ष
2. महानिदेशक निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग — सदस्य
3. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय — सदस्य

सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए-12025/(i)/1/77 एन एस जी/वी एच ई/प्रशा-1]

मीरज कुमार, उप सचिव

टिप्पणी:—मूल मिशन भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं. 763 दिनांक 14-7-84 द्वारा अधिसूचित किया गया और तत्पश्चात् सा.का.वि. सं. 427 दिनांक 7-6-1986 द्वारा संशोधित किया गया।

New Delhi, the 14th March, 2001

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Works and Housing Adviser (Public Health Environmental Engineering Recruitment Rules, 1984 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub Section (i) number G.S.R. 763 dated the 14th July, 1984 and Ministry of Urban Development Adviser (Public Health Environmental Engineering) (Amendment) Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done in such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser, (Public Health Environmental Engineering) in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation Adviser (Public Health Environmental Engineering) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay etc.—The number of the said posts, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post age limit, qualifications and other matters relating

thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection by merit or selection cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Adviser (Public Health Environmental Engineering)	*1 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group A Gazetted, Non-Ministerial	18400-500-22400/-	Selection by merit
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
6	7	8	9	
Not exceeding 50 years Note 1 : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	No	Essential : (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.	Age : No Educational Qualifications : Yes	

6	7	8	9
Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshawtep.		(ii) Post-Graduate Degree in Public Health Engineering of a recognised University or equivalent. (iii) 15 years' experience in Public Health Engineering including investigation, design constructions and operation of water supply and sewage installations. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	
10	11	12	
Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	
One year for direct recruits	Promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion Deputy Adviser (Public Health Environmental Engineering) with 3 years regular service in the grade. Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Semi-Governments, Autonomous or Statutory Organisations :— a (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in posts in the scale of Rs. 16400—20000 or equivalent; or	

(iii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 14300—18300/- or equivalent ; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8

Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion

(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipts of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
--	--

13

14

Group 'A'
Departmental Promotion Committee (for promotion)

1. Chairman or Member,
Union Public Service Commission

—Chairman

2. Secretary, Ministry of Urban Development and
Poverty Alleviation

—Member

3. Secretary, Ministry of Health

—Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee
(for confirmation)

1. Secretary, Ministry of Urban Development and
Poverty Alleviation

—Chairman

2. Director General of Works,
Central Public Works Department

—Member

3. Secretary, Ministry of Health

—Member

Consultation with Union Public
Service Commission is necessary while
making direct recruitment and appointing
an officer on deputation/contract.

[F. No. A-12025(i)/1/77-LSG/PHE/Admn. I]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy.

Note : The Principal Rules were notified in the Gazette of India vide G.S.R. No. 763 dated 14-7-84 and subsequently amended vide G.S.R. No. 427 dated 7-6-1986-

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2001

सा.का.नि. 188.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार मंत्रालय डाक विभाग की असाविधिक विभागीय केन्टीन/टिफिन क्लब में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—(i) इन नियमों को संचार मंत्रालय, डाक विभाग, (असाविधिक विभागीय केन्टीन/टिफिन क्लब) भर्ती नियम, 2001 कहा जाए। (ii) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहंताएं आदिः—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहंताएं तथा उनसे सम्बद्ध अन्य विषय वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक गठनः—उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदों के पदधारियों को, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, निदेशक केटीन पत्र सं. 12/5/91-निवे, (सी) दिनांक 29 जनवरी, 1992 के जरिये सरकारी सेवक घोषित किया गया था जो डाक विभाग के पत्र सं. 16-19/91 कल्याण/बेल दिनांक 24 फरवरी, 1992 के जरिये परिचालित किया गया था इन नियमों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त किया गया

संयोजित जाएगा और उक्त प्रारंभण के पहले इन पदों पर उनके द्वारा प्रवृत्त सेवाओं को परिवर्तीका अधि के प्रयोजन के लिए तथा अगले उच्चतर ग्रेड आदि में पदोन्नति के लिए उनकी, पाक्षता पर निर्णय लेने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

3. ग्रहंताएं वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का बन्धन दिया है, प्रपञ्च

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का बन्धन दिया है;

सक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्तिः—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्तिः—इन नियमों की कोई बात, ऐसे प्रारंभण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समस्त समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)
1	2	3	4
1. प्रबंधक श्रेणी-II	*77 (2001) *अकानूनी केन्टीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपक्षित अननुसंधितीय	4000-100-6000 रु.।
चयन-सह-अपेक्षता या योग्यता के आधार पर चयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	
5	6	7	
चयन-सह-अपेक्षता	नहीं	लागू नहीं होता	

सीधी जर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित बैजिक और अन्य महत्ताएं	सीधी जर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिह्नित आयु और बैजिक महत्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की रक्षा में सानू होंगी या नहीं	परिबीजा की अवधि; यदि कोई हो
--	--	--------------------------------

8

9

10

सानू नहीं होता

सानू नहीं होता

सानू नहीं होता

जर्ती की पद्धति : जर्ती सीधी होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/
आमेजन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा चरे जाने वाले पर्वों की
प्रतिबतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेजन द्वारा जर्ती की रक्षा में वे
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेजन किया जाएगा

11

12

पदोन्नति द्वारा, ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति :

ऐसे प्रबंधक श्रेणी III के पद से जिन्होंने उस श्रेणी में
6 वर्ष तक नियमित सेवा की है, या प्रतिनियुक्ति/आमेजन:

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारण किए हुए हैं वा
- (ii) ऐसे प्रबंधक श्रेणी III जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष
नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1 : ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी
पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार
किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने
के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार वा किसी
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि सहित, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)
के लिये अधिकतम आयु-सीमा आबेधन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख की 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय अधिकारि अधिकारि है, जो उसकी संरचना

जहाँ करने में किन्हीं परिस्थितियों के संघर्ष को दबा जातीय
से पराजित किया जाएगा

13

14

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और पुष्टि के लिये) में निम्नलिखित
सदस्य हैं :

सानू नहीं होता

1. उस विभाग/यूनिट के प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन कोई वास
कैप्टीन/टिफिन कम आता हो —प्रध्यक्ष
2. किसी स्थानीय अथवा निकटवर्ती विभाग/यूनिट के अध्यक्ष —सदस्य
3. विभाग के किसी दूसरे बिना के स्थानीय अथवा निकटवर्ती विभाग/
यूनिट के प्रधान सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। —सदस्य

1	2	3	4
2. प्रबंधक श्रेणी-III	*23(2001) *अकामुनी कैंटीन के प्रबंध के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' अराज्यपक्षित अग्रगण्य/अग्रणीय	3200-85-4900 रु.
5	6	7	
चयन-सह-अपेक्षा	नहीं	नागू नहीं होता	
8	9	10	
नागू नहीं होता	नागू नहीं होता	नागू नहीं होता	
11	12		

प्रोन्नति द्वारा; जिसके अ हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

विभागीय कैंटीन में ऐसा लिपिक जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष
नियमित सेवा की है प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

(i) जो नियमित आधार पर सर्वप्रथम बारण किये हुए
हैं या

(ii) लिपिक/सेल्समैन सेवा जिसने उस श्रेणी में कम से
कम 4 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1. ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी
पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार
किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने
के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी श्रेणी किसी अन्य संगठन/विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संगठन बाह्य
पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष
से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिये अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और पृष्ठ के लिये) जिसमें
निम्नलिखित होंगे :

नागू नहीं होता

1. उस डिबीजन/यूनिट के प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई
कास कैंटीन/टिफिन रूम आता हो —अध्यक्ष
2. किसी स्थानीय श्रेणी निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट के अध्यक्ष —सदस्य
3. विभाग के किसी दूसरे बिंग के स्थानीय श्रेणी निकटवर्ती डिबीजन/
यूनिट के प्रमुख सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का
प्रतिनिधित्व करता हो। —सदस्य

1	2	3	4
3. लिपिक/सेल्समैन	*254(2001) *अकालूनी कैंटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' प्रराजित प्रत्युत्पन्न	3050-73-3950-80-4500 रु.
5	6	7	
न्यूनतम-उपस्थिति	नहीं	18 वर्ष से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा संपन्न-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्षों तक की निमित्तता)। टिप्पण 1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
8	9	10	
आवश्यकता: (i) किस्त: माध्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मेट्रिकुलेशन। (ii) सरकारी या औद्योगिक कैंटीन में समतुल्य पद पर एक वर्ष का अनुभव।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये दो वर्ष	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा 50% जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, 50% सीधी भर्ती द्वारा।	(क) प्रोन्नति: ऐसा चाय/काफी बनाने वाला जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, या (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये स्लैब (8) में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।		

13

14

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और पुष्टि के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे

लागू नहीं

1. डिबीजन/यूनिट के प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार में एक विशेष कैटीन/टिफिन रूम आता हो —प्रध्यक्ष
2. अन्य स्थानीय अथवा निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट के प्रमुख —सदस्य
3. विभाग की अन्य विंग की स्थानीय अथवा निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट के प्रमुख सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। —सदस्य

1

2

3

4

4. हलवाई

81* (2001)
*अक्रान्तनी कैन्टीन प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग',
अराजगति
अननुसन्धिवीय

3200-85-4900 रु.

5

6

7

नयन-सह-वर्गिष्ठता

नहीं

18 से 25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्षों तक की गिनिलता।)

टिप्पण :—1 आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पाणी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है)।

टिप्पण :—2 रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

8

9

10

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवी कक्षा उत्तीर्ण
- (2) सरकारी या औद्योगिक कैन्टीन में समतुल्य पद पर दो वर्ष का अनुभव।

नहीं

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष

प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति : ऐसे सहायक हलवाई और रसोइया जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है

या

(2) ऐसे सहायक हलवाई/रसोइया जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1. ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य सर्वग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है), के लिये अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पृष्ठ के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे —

लागू नहीं होता

1. डिबीजन/यूनिट का प्रमुख जिनके क्षेत्राधिकार में एक विशेष कैटीन/टिफिन रूग आता है —अध्यक्ष
2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट का प्रमुख —सदस्य
3. विभाग की अन्य विंग की स्थानीय अथवा निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट का प्रमुख सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो।

5 रसोइया

22* (2001)

*अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसंधितीय

3050-75-3950-30-4590 रु.

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्षों तक की शिथिलता) । टिप्पण :—1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण :—2. रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।
8	9	10
(1) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण । (2) सरकारी या औद्योगिक कैंटीन में समतुल्य पद पर एक वर्ष का अनुभव ।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
11	12	
प्रोन्नति के द्वारा 75% व्यावसायिक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा 25%	प्रोन्नति : व्यावसायिक परीक्षा के माध्यम से ऐसा चाय/काफी बनाने वाला या बैरा जिसने रसोइया के सहायक या सहायक हनुवाई के बर्तार दो वर्ष की नियमित सेवा की है ।	
13	14	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. डिबीजन-यूनिट का प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार में एक विशेष कैंटीन/टिफिन रूम आता है। —अध्यक्ष 2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट का प्रमुख —सदस्य 3. विभाग की अन्य विंग की स्थानीय अथवा निकटवर्ती डिबीजन/यूनिट का प्रमुख-सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो ।	लानू नहीं होता ।	

1	2	3	4
6. सहायक हलवाई	15* (2001) *अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपविन अननुसचिवीय	र. 3050-75-3950-80- 4500

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्षों तक की शिथिलता) । टिप्पणी :—1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख डिब्बिजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में लाहौल और स्पीति जिला और पांगी उप डिब्बिजन, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है) । 2. रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है) ।

8	9	10
(1) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (2) समान पद पर सरकारी या व्यावसायिक कैटीन में एक साल का अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष

11	12
प्रोश्रुति द्वारा 75% तथा व्यावसायिक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 25%	प्रोश्रुति :—व्यावसायिक परीक्षा से चाय/कॉफी बनाने वाला या बैरा जिन्होंने एक साल हलवाई के सहायक के तौर पर नियमित सेवा की है।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लाग नहीं

1. डिवीजन-यूनिट का प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार में एक विशेष कैंटीन/टिफिन रूम आता है। —अध्यक्ष
2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिवीजन/यूनिट का प्रमुख —सदस्य
3. विभाग की अन्य विंग से स्थानीय निकटवर्ती डिवीजन/यूनिट का प्रमुख सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो।

1	2	3	4
7. चाय/काँफी बनाने वाला	281* (2001) *अकानूनी कैंटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपक्षित अनुसूचितीय	र. 2610-60-3150-65 3540

5	6	7
चयन-सङ्ग-ज्येष्ठता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की शिथिलता) टिप्पणी 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्पा जिले में कांगी उप-डिवीजन, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है)। टिप्पणी 2. रोजगार कार्यालय से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है।

8

9

10

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवी कक्षा उत्तीर्ण और नही सीधे भर्ती वालों के लिए दो वर्ष
- (ii) चाय/कॉफी बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए ।

11

12

प्रोन्नति न हो सकने पर सीधी भर्ती से

प्रोन्नति :

वाश बाँय/सफाई कर्मचारी के ग्रेड में एक साल की नियमित सेवा ।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)
जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

1. डिवीजन-यूनिट का प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार में एक विशेष कैटीन/-टिफिन रूम आता है —अध्यक्ष
2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिवीजन/यूनिट का प्रमुख —सदस्य
3. विभाग की अन्य विंग से स्थानीय निकटवर्ती डिवीजन/यूनिट का प्रमुख-सदस्य जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो ।

1

2

3

4

8. बैरा 278* (2001) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अमनुसचिवीय 2610-60-3150-65-3540 रु.
- *अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

5

6

7

चयन-सह-ज्येष्ठता

नहीं

18 से 25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्षों तक की शिथिलता) ।

टिप्पणी 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न की गई अंतिम तारीख

7

होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2. रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की वशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण; और	नहीं	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
(ii) सरकारी या औद्योगिक कैंटीन में समान पद पर छः माह का अनुभव।		

11	12
प्रोन्नति द्वारा न भरे जाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : वाश बॉय/सफाई कर्मचारी के ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पृष्ठ के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. डिवीजन-यूनिट का प्रमुख जिसके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में एक विशेष कैंटीन/टिफिन रूम आता है —अध्यक्ष	
2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिवीजन/ईकाई का प्रमुख —सदस्य	
3. विभाग की अन्य विंग से स्थानीय अथवा निकटवर्ती डिवीजन/ईकाई का प्रमुख-सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो।	

1	2	3	4
9 वास डब्बय	*289(2001) *अकानूनी केटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अग्रजगति, अनुसूचितीय	2550-55-2660-60- 3200 रु.
5	6	7	
लागू नहीं	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्षों तक की शिथिलता) टिप्पण 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पामी उपखंड, तथा शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये त्तिहित की गई है)। टिप्पण 2. रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।	
8	9	10	
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष	
11		12	
सीधी भर्ती		लागू नहीं	
13		14	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और प्पुष्टि के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे —		लागू नहीं होता	
1 डिवीजन-इकाई का प्रमुख जिसके अधिकार क्षेत्र में एक विशेष केटीन/टिफिन रुम आता हो—अध्यक्ष			
2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिवीजन-इकाई का प्रमुख —सदस्य			
3 विभाग की अन्य विंग से स्थानीय अथवा प्रमुख—सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो।			

1	2	3	4
10. सफाई कर्मचारी	44* (2001) *अकानूनी कैंटीन के प्रवर्ग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' अराजपत्रित, अननुसूचित	2550-55-2660-60- 3200 रु.
5	6	7	
साग नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्षों तक की शिथिलता)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित कर के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।	
8	9	10	
किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं	दो वर्ष	
11	12		
सीधी भर्ती	लागू नहीं		
13	14		
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पृष्ठ के लिये) जिसमें निम्नलिखित हों :— 1. डिवीजन/इकाई का प्रमुख जिसके अधिकार क्षेत्र में एक विशेष कैंटीन/टिफिन रूम आता है—अध्यक्ष 2. अन्य स्थानीय या निकटवर्ती डिवीजन/इकाई का प्रमुख—सदस्य 3. विभाग की अन्य विंग से स्थानीय अथवा प्रमुख—सदस्य, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो।	लागू नहीं होता		

[फा. सं. 13-1/99-कर्याण एवं खेल-कूद]

इ. के. कौशल, निदेशक (कर्याण एवं खेल कूद)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 16th March, 2001

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes, the following rules regulating the method of recruitment to the posts of non-Statutory Departmental Canteens of Tiffin Rooms, Department of Posts, in the Ministry of Communications, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications, Department of Posts, (Non-Statutory Departmental Canteens of Tiffin Rooms) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbents of the posts shown in the said Schedule who were declared as Government Servants vide Department of Personnel and Training letter No. 12/5/91-Dir. (C) dated the 29th January, 1992 which was circulated vide Department of Posts letter No. 16-19/91/WL/Sports dated the 24th February, 1992 shall be deemed to

have been appointed under these rules on regular basis and the services rendered by them in the posts before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of probation period and for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade, etc.

5. Disqualifications.—No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rupees)	Whether selection-cum- seniority or selection by merit
1	2	3	4	5
1. Manager Grade-II	77* (2001) *Subject to variation dependent on category of non- statutory canteen.	General Central Service Group 'C' Non- Gazet- ted Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Selection-cum- Seniority
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Ser- vices (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		
6	7	8		
No	Not applicable	Not applicable		

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion :— From the post of Manager Grade III with six years regular service in the grade. Deputation/Absorption :— (a) Officers of the Central Government :— (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Manager Grade-III with atleast six years regular service in the grade. Note 1. The Departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :	Not applicable
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman	
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member	
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.	

1	2	3	4	5
2. Manager Grade-III	23* (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen	General Central Service, Group 'C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3200-85-4900	Selection-cum-seniority.
6	7	8		
No	Not applicable	Not applicable		
9	10	11	12	
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion : Clerk in the Departmental Canteen with four year's regular service in the grade. Deputation/Absorption : (a) Officers of the Central Government :— (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Clerk/Salesman with four years regular service in the grade. Note 1. The Departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 . Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	
13			14	
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :			Not applicable	
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular Canteen/tiffin room lies—Chairman				
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member				
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.				

1	2	3	4	5
3. Clerk/Salesman	*254 (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection-cum-seniority
6	7	8		
No	18 to 25 years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) Matriculation examination from a recognised School or University. (ii) One year experience in a similar position in Government or Industrial canteen.		
9	10	11	12	
Age—No Educational qualification— Yes	Two years for direct recruits.	50% by promotion failing which by direct recruitment. 50% by direct recruitment.	Promotion : (a) Tea/Coffee maker/Bearer with six years regular service in the grade, and (b) Possessing the qualifications as prescribed for direct recruits under column 8.	
13	14			
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of : 1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman 2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member 3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.	Not applicable			

1	2	3	4	5
4. Halwai	81* (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3200-85-4900	Selection-cum-Seniority
6	7	8		
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep. Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) 8th standard pass from a recognised school; and (ii) Two years experience in a similar position in Government or Industrial canteen.		
9	10	11	12	
No	Two years for direct recruits	By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Assistant Halwai or Cooks with five years regular service in the grade. Deputation/Absorption : Officers of the Central Government :— (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Assistant Halwai or Cook with five years regular service in the grade. Note 1. The Departmental officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

13			14	
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :			Not applicable	
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular Canteen tiffin room lies			—Chairman	
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit			—Member	
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.				
1	2	3	4	5
5. Cook	22* (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection -cum-Seniority
6	7	8		
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and	(i) 8th standard pass from a recognised school; and (ii) One year experience in a similar position in Government or Industrial Canteen.		

Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
No	Two years for direct recruits	75% by promotion 25% by direct recruitment through trade test.	Promotion: Tea/Coffee Maker or Bearer with two years regular service as helper to Cook or Assistant Halwai, through a trade test.

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:	Not applicable
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular Canteen/tiffin room lies—Chairman	
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member	
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.	

1	2	3	4	5
6. Assistant Halwai	15* (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection-cum-Seniority

6	7	8
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,	(i) 8th standard pass from a recognised school and; (ii) One year experience in a similar position in Government or Industrial Canteen.

7

Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
No	Two years for direct recruits	75% by promotion 25% by direct recruitment through trade test.	Promotion: Tea/Coffee Maker or Bearer with one year regular service as helper to Halwai, through a trade test.

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:	Not applicable
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman	
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member	
3. Head of the local or neighbouring Division/unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.	

1	2	3	4	5
7. Tea/Coffee Maker	*281 (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen	General Central Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority

6	7	8
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	(i) 8th standard pass from a recognised school and; (ii) should be competent to make Tea/Coffee

Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
No	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Wash Boy/ Safai Karamchari with one year regular service in the grade.
	13		14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :			Not applicable.
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman			
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member			
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department—Member representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.			

1	2	3	4	5
8. Bearer	*278 (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-seniority.

6	7	8
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). *Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	(i) 8th standard pass from a recognised School and; (ii) Six months experience in a similar position in Government or Industrial Canteen.

7

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
No	Two years for recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Wash Boy or Safai Karamchari with one year regular service in the grade.

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of : 1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman 2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member 3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories—Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
9. Wash Boy	*289 (2001) *Subject to variation dependent on category of Non-statutory Canteen	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable

6	7	8
No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal	Primary standard pass from a recognised School.

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of : 1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies—Chairman 2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit—Member 3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
10. Safai Karamchari	*44 (2001) *Subject to variation dependent on category of non-statutory Canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable

6	7	8
No	18 to 25 years— (Relaxable for Government servants upto five years accordance with the-instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh the Union	Primary standard pass from in a recognised School.

Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep)

Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable
13			14
Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :			Not applicable.
1. Head of the Division/Unit in whose jurisdiction a particular canteen/tiffin room lies			—Chairman
2. Head of the other local or neighbouring Division/Unit			—Member
3. Head of the local or neighbouring Division/Unit from other wing of the Department representing Schedule Caste/Schedule Tribe categories.			—Member

[F. No.13-1/99-WL & Sports]

A. K. KAUSHAL, Director (Welfare and Sports)

जल ससाधन मन्त्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2001

मा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला, पुणे समूह ग भर्ती नियम (प्रशासनिक और लेखा सेवा) 1986 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह ग पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला पुणे (प्रशासनिक और लेखा सेवा) समूह ग पद भर्ती नियम 1986 की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी अर्थात्—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1 अवर श्रेणी लिपिक	69* (2001) *कार्यभार के आधार पर पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	3050-75-3950-80- 4590 रु

योग्यता के आधार पर चयन-सह-
ज्येष्ठता अथवा अचयन

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा

सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय
सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के
नियम-30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

5

6

7

लागू नहीं होता

18—25 वर्ष

लागू नहीं होता

सरकारी सेवकों के लिये शिथिल कर के 40 वर्ष की जा सकती है। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कथिपय अन्य प्रवर्गों के लिये शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किसी अन्य शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों
के लिये विहित आयु और शैक्षिक
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में
लागू होंगी या नहीं

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय
से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र या समतुल्य।

लागू नहीं होता

दो (2) वर्ष

(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति हो या
हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति हो।

*पद की अपेक्षा के आधार पर

टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा
में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी
चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रकब पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

(i) 85 % कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

लागू नहीं होता

(ii) 10 % रिक्तियाँ केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला के ऐसे समूह घ कर्मचारियों में से भरी जायेंगी जिनके पास उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह घ में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिये पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 50 वर्ष।

(iii) 5 % रिक्तियाँ केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला पुणे ऐसे समूह घ कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जायेंगी जिनके पास माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र या समतुल्य अर्हताएं हैं।

वि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि) :—

लागू नहीं होता।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला—अध्यक्ष
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला—सदस्य
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला पुणे—सदस्य

1	2	3	4
2 उच्च श्रेणी लिपिक	44* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुमचिवीय	4000-100-6000 रु.
5	6	7	
चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक में 'दो वर्ष' से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
13	14		
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पुष्टि)	लागू नहीं होता।		
1 अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—अध्यक्ष (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
2 मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—सदस्य (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
3 विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य			
4 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे—सदस्य			

1	2	3	4
3. सहायक	19* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.
5	6	7	
षयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
13	14		
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि) :	लागू नहीं होता।		
1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—अध्यक्ष (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—सदस्य (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)			
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य			
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे—सदस्य			

1	2	3	4
4. आशुलिपिक श्रेणी II	15** (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.
5	6	7	
अयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
11	12		
प्रोन्नति द्वारा	ऐसा आशुलिपिक श्रेणी III जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
13	14		
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि) :—	लागू नहीं होता।		
1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—अध्यक्ष (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा)			
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला—सदस्य (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा)			
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य			
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे—सदस्य			

1	2	3	4
5. आशुलिपिक श्रेणी III	10* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपक्षित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.
5	6	7	
लागू नहीं होता	18—25 वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ सचयी रूप से शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष- द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता	
8	9	10	
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो (2) वर्ष	
(ii) अंग्रेजी में आशुलिपि और टंकण में क्रमशः 80 और 30 शब्द प्रतिमिनट की गति ; या हिन्दी आशुलिपि और टंकण में क्रमशः 80 और 25 शब्द प्रतिमिनट की गति। (*पद की प्रपेक्षा के आधार पर)			

11

12

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पुष्टि) :—

लागू नहीं होता ।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला—अध्यक्ष
(जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)
—सदस्य
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे—सदस्य

1

2

3

4

- | | | | | |
|----|----------------|--|--|-------------------|
| 6. | हिन्दी अनुवादक | 3*
(2001)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय | 4500-125-7000 रु. |
|----|----------------|--|--|-------------------|

5

6

7

लागू नहीं होता

28 वर्ष

लागू नहीं होता

सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ संश्लेषी रूप से शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल

प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 :—रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

लागू नहीं होता

दो (2) वर्ष (सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए)

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से किसी एक और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे के साथ हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के माध्यम के रूप में दोनों में से किसी एक और अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे के साथ स्नातक की डिग्री तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यता-प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों, जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11

12

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन . केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधि-कारियों में से —

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जो 4000-6000 के रू. या समतुल्य वेतन-मान वाले प धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है , या
(iii) जो 3050-4590 के रू. या समतुल्य वेतन-मान वाले पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में अधिकृत शैक्षिक और अन्य शर्हें हैं ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13

14

समूह "ग" चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए :—

लागू नहीं होता ।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला —अध्यक्ष
(जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला —सदस्य
(जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान-शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
3. उप सचिव/अवर सचिव (ई. II) —सदस्य
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे —सदस्य

1

2

3

4

7. ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक 1* (2001)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" 5500-175 9000 रु.
अराजपत्रित, अनुमचिवीय

5

6

7

चयन-सह-ज्येष्ठता

28 वर्ष

लागू नहीं होता

सरकारी सेवकों के लिये शिथिल करके 40 वर्ष की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय अधिसूचित कृतपत्र अन्य प्रवर्गों के लिये शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किसी अन्य शिथिलता के साथ संघीय रूप से शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)

टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

8

9

10

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में (जिसके अन्तर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक पद भी हैं) मास्टर डिग्री।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी (जिसके अन्तर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक पद भी हैं) के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

नहीं

दो वर्ष के केवल सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिये)

11

12

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों में से, जिसने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से :—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किये हुये हैं, या

12

(2) जो 4500-7000 रु. के या समतुल्य बेतनमान वाले पद धारण किये हुये हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या जो 5000-8000 रु. के या समतुल्य बेतनमान वाले पद धारण किये हुये हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जिनके पास सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं ।

13

14

समूह "ग" चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिये) —

लागू नहीं होता ।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला

—अध्यक्ष

(जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)

2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी,

केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला

—सदस्य

(जिसे निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)

3. उपसचिव/अवर सचिव (ई.-II)

—सदस्य

4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/
प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला,
पुणे

—सदस्य

1

2

3

4

8. प्रभागीय लेखाकार/लेखाकार

3* (2001)

*कार्यभार के आधार पर

परिवर्तन किया जा सकता है ।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग"

अग्राजपत्रित, अनुमचिवीय

5000-150-8000 रु.

5

6

7

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति: (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये है; या

(2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में या समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जिसके पास रोकड़ लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है जिसके न हो सकने पर

आ. केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये हैं: या

(2) जिन्होंने 4500-7000 रु. / 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह/तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य तनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में या समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जिसके पास रोकड़ लेखा और बजट संबंधी कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है। या जिसने केन्द्रीय सरकार या किसी भी लेखा विभाग संगठन द्वारा आयोजित सचिवालय लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 2/16/98-ई-II]

इन्द्रजीत सिंह, उप सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 486 तारीख 28 जून, 1986 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 9th March, 2001

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Pune, Group 'C' Recruitment Rules, (Administrative and Accounts Service), 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station (Administrative and Accounts Service), Group 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services), Group 'C' posts Recruitment Rules, 1986 for the existing "SCHEDULE", the following "SCHEDULE" shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Lower Division Clerk.	*69 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.
Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recruits		Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6		7
Not applicable.	"18 to 25 years. Relaxable for Govt. servants upto 40 years. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes." Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : (i) SSC from a recognised Board or University or equivalent. (ii) Should possess: Speed of 30 w.p.m. in English type-writing. OR Speed of 25 w.p.m. in Hindi typing*. *Depending upon the requirement of the post. Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved from them	Not applicable.	2 years.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'D' staff of Central Water and Power Research Station who possess SSC or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in Group 'D' on the basis of a departmental competitive examination through Staff Selection Commission. The maximum age limit for eligibility for the examination shall be 45 years (50 years for SC/ST candidates). (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'D' employees of CWPRS, Pune, who possess SSC or equivalent qualification.
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13		14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for Promotion/Confirmation : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station —Member		Not applicable.

13

- 3 A member outside CWPRS as per DPC guidelines —Member
- 4 Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member

1	2	3	4
2 Upper Division Clerk	*44 (2001) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs 4000-100-6000
5	6	7	8
Selection-cum-seniority	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion
13	14	15	16
Lower Division Clerk with 8 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.	

- 1 Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Chairman
- 2 Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Member
- 3 A member outside Central Water and Power Research Station as per DPC Guidelines —Member
- 4 Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

1	2	3	4
3. Assistant	*19 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000
5	6	7	
Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable	
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion
12	13	14	
Upper Division Clerks with eight years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Com- mittee : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, Central Water and Power Research Station) —Member 3. A member outside Central Water and Power Research Station as per DPC guidelines —Member	Not applicable.	

4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

1	2	3	4
4. Stenographer Grade II.	*15 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000

5	6	7
Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

12	13	14
Stenographer Grade III with eight years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided that they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Member 3. A member outside CWPRS as per DPC guidelines —Member 4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.	Not applicable.

1	2	3	4
5. Stenographer Grade III	*16 (2001) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000

5	6	7
Not applicable	18 to 25 years. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note 1 : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Not applicable

8	9	10	11
(i) Senior Secondary Certificate or equivalent from a recognised University or Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment
(ii) Speed in shorthand and typewriting at the rate of 80 and 30 words per minute respectively, in English.			
OR			
Speed in shorthand and typewriting at the rate of 80 and 25 words per minute respectively, in Hindi* (depending upon requirement of the post)*			
12	13	14	
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (Promotion/Confirmation) :	Not applicable.	
	1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman		
	2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Member		
	3. A member outside CWPRS as per DPC guidelines —Member		
	4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member.		
1	2	3	4
6 Hindi Translator	* 3 (2001) "Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	* Rs. 4500-125-7000
5	6	7	
Not applicable	28 years (relaxable for Government servants upto 40 years). Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes.	Not applicable	

Note 1 : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date for receipt of application from candidates in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladak Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 : In case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
Master's degree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at Degree level.	Not applicable	Two years (for direct recruits).	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.

OR

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject at degree level.

OR

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level.

OR

Bachelor's degree of a recognised University, with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognised Diploma/Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government offices, including Government of India Undertakings.

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to

Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any state of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

12	13	14
Deputation/absorption : From amongst Central Government officers holding : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000—6000 or equivalent with 5 years regular service in the grade; or (iii) posts in the pay scale of Rs. 3050—4590 or equivalent with eight years regular service in the grade; and (b) Possessing educational and other qualifications laid down in column 8 for direct recruits. (Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same organisation, shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Selection Committee/Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS)—Member 3. Deputy Secretary/Under Secretary (E.II) —Member 4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Not applicable.

1	2	3	4
7. Senior Hindi Translator.	1* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000.
5	6	7	
Selection-cum-Seniority.	28 years (relaxable for Government servants upto 40 years) Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed	Not applicable.	

6

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladak Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

In case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
Master's degree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a main subject (which includes the term compulsory & elective) at Degree level.	No.	2 years (for direct recruits only).	By promotion, failing which by deputation, failing both direct recruitment.
OR			
Master's degree of a recognised University in any subject with English and Hindi as main subjects (which includes the term compulsory and elective) at degree level.			
12	13	14	
Promotion : From amongst Junior Hindi Translator with five years regular service in the grade. Deputation : From amongst Central Government officers : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4500—7000 or equivalent with six years regular service in the grade or in the pay scale of Rs. 5000—8000 or equivalent with 3 years regular service in the grade; and (b) Possessing educational and other qualifications laid down in column 8 for direct recruits.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion/Confirmation) : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Member 3. Deputy Secretary/Under Secretary (E.II), Ministry of Water Resources, New Delhi —Member 4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	Not applicable.	
1	2	3	4
8. Divisional Accountant/ Accountant.	3* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non- ...	Rs. 5000-150-8000.

5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not applicable
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable
12	13	14
Deputation : A. (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with eight years regular service in the grade; and (b) Who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work; failing which B. Officers under the Central Government : (b) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six/three years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500—7000/Rs. 5000—8000 or equivalent; or (iii) with eight years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the ISTM or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work. OR A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department or the Central Government.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment.

Note : (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in

the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F. No. 2/16/98-E-II]

INDERJIT SINGH Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 486 dated 28th June, 1986.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2001

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला में प्रधान नकशानवीस, नकशानवीस श्रेणी I, नकशानवीस श्रेणी II और नकशानवीस श्रेणी III के पदों से संबंधित केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (रेखाचित्र कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (रेखाचित्र कर्मचारिवृन्द) भर्ती संशोधन नियम 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे सहायक तकनीकी सेवाएं (रेखाचित्र कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में :—

“अनुसूची”

(i) स्तम्भ 5, 11 और 12 के शीर्षकों की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ 5 के शीर्षक के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, “योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद,”

स्तम्भ 11 के शीर्षक के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता”

स्तम्भ 12 के शीर्षक के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“प्रोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा”।

प्रधान नकशानवीस के लिए प्रोन्नति : ऐसा नकशानवीस श्रेणी I जिसने उस श्रेणी में 3 (तीन) वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1. प्रधान नक्शानवीस	5* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपक्षित, अनुसचिबीय	6500-200-10500 ₹.
योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11 प्रोन्नति द्वारा		12 प्रोन्नति : ऐसा नक्शानवीस श्रेणी I, जिसने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति ---

- 1 निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला ---अध्यक्ष
- 2 उप सचिव/अवर सचिव (भार साधक स्था II),
जल ससाधन मन्त्रालय ---सदस्य
- 3 संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान
शाला, पुणे (जो निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत
अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) ---सदस्य
- 4 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी
केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे ---सदस्य
- 5 ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत
अनुसंधान शाला, पुणे ---सदस्य
(जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान
शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)

सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4
2 नक्शानवीस श्रेणी I	10* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अग्रापन्नित, अननुमचित्वीय	5500-175-9000 रु

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11		12

शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

ऐसा नक्शानवीस श्रेणी II, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति —

लागू नहीं होता ।

- 1 अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (जो निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —अध्यक्ष
- 2 मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (जो निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —सदस्य
- 3 विभागीय प्रोन्नति समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला से बाहर का कोई सदस्य —सदस्य
- 4 ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला —सदस्य
(जो निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)

1	2	3	4
3 नक्शानवीन श्रेणी II	15* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अगजपत्रित अनुसूचित वर्ग	5000-150-8000 रु

5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	18 से 25 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए) सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर के 40 वर्ष तक की जा सकती है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ सचयी रूप से शिथिल की जा सकती है । टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख, खड़, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पागी उपखंड, अडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) उन पदों की बाबत, जिनपर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है । आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजन के लिए कहा गया है ।	लागू नहीं होता

8

9

10

आवश्यक :—

नहीं

केवल सीधी भर्ती किए गए व्य-
क्तियों के लिए दो वर्ष

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सीनियर मेकैन्ड्री (10 + 2) प्रमाणपत्र ।
2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
3. किसी स्थापित संगठन में उस क्षेत्र का पाँच वर्ष का अनुभव ।

11

12

शत-प्रतिशत, नक्शानवीस श्रेणी-III से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-III, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड से नक्शानवीसी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या समतुल्य है और जिसने नक्शानवीसी श्रेणी-III की श्रेणी में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा कर ली हो ।

टिप्पण :—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला द्वारा नाम- निर्दिष्ट किया जाएगा) —अध्यक्ष
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —सदस्य
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला से बाहर का एक सदस्य —सदस्य
4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पुणे (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —सदस्य

1	2	3	4
4 नक्शामवील श्रेणी-3	43* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अग्राज रतित, अननुसूचित	4000-100-6000 रु
5	6	7	
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष सरकारी सेवा के लिये शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवा के लिये। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कतिपय अन्य वर्गों के लिये शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिये किसी अन्य शिथिलता के साथ संबंधी रूप से शिथिल की जा सकती है। टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिये कहा गया है।	लागू नहीं होता	
8	9	10	
आवश्यक :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में मैट्रिक या समतुल्य। 2 किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नक्शानवीसी में डिप्लोमा या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	

11

12

शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

नाम नहीं होता

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)—अध्यक्ष
2. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)—सदस्य
3. विभागीय प्रोन्नति समिति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला से बाहर का एक सदस्य—सदस्य
4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला, पुणे (जो निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा)—सदस्य

[फा.सं. 2/4/95-स्था.-II]

इन्द्रजीत सिंह, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. सं. 560, तारीख 20 जून, 1988 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे।

New Delhi, the 9th March, 2001

G.S.R. 190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Service (Drawing Staff) Recruitment Rules, 1988, to the posts of Head Draftsman, Draftsman Grade I, Draftsman Grade II and Draftsman Grade III in the Central Water and Power Research Station, Pune namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Drawing Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Drawing Staff), Recruitment Rules, 1988 in the 'Schedule':—

'SCHEDULE'

- (i) for the entries of headings of columns 5, 11 and 12 the following shall be substituted, namely:—

for the entry against heading columns 5:—

"Whether selection by merit or selection-cum-seniority of non-selection post".

for the entry against heading column 11:—

"Method of recruitment. Whether by direct recruitment OR by promotion OR by deputation|absorption and percentage of the posts to be filled by various methods".

for the entry against heading column 12:—

"In case of recruitment by promotion|deputation|absorption, grades from which promotion|deputation|absorption is to be made".

Promotion for Head Draftsman : Draftsman Grade I with 3 (three) years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying|eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying|eligibility service by more than half of such qualifying|eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying|eligibility service.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Head Draftsman	5*(2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non Gazetted, Non Ministerial.	Rs. 6500-200-10500
Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7	8
Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment OR by promotion OR by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
9	10	11	12
Not applicable	Two years	By Promotion	Promotion: Draftsman Grade 1 with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have completed such qualifying/eligibility service.
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13			14
Group "B" Departmental Promotion Committee			Consultation with Union Public Service Commission not necessary
1. Director, Central Water and Power Research Station—Chairman			
2. Deputy Secretary/Under Secretary (In-charge E.II), Ministry of Water Resources—Member			
3. Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune (to be nominated by Director, CWPRS Pune-24)—Member			
4. Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer Central Water and Power Research Station, Pune—Member			
5. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune (to be nominated by Director, CWPRS)—Member			

1	2	3	4
2. Draftsman Grade-I	10* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000.
5	6	7	
Selection-cum-seniority.	Not applicable.	Not applicable.	
8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100% by promotion.
12	13	14	
Draftsman Grade II with three years of regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Member 3. A member outside CWPRS as per DPC guidelines —Member 4. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune (to be nominated by Director, CWPRS) —Member	Not applicable.	
1	2	3	4
3. Draftsman Grade-II	15* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.
5	6	7	
Selection-cum-seniority.	18 to 25 years. (For direct recruits only). Relaxable for Government servants upto 40 years. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Government from time to time.	Not applicable.	

Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes.

Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

In respect of the posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
Essential :	No.	Two years for direct recruits only.	100% by promotion from Draftsman Grade-III failing which by direct recruitment.
1. Senior Secondary (10+2) Certificate from a recognised University/Board.			
2. Diploma in Engineering from a recognised University/Institute/Board.			
3. Five years experience in the line in an organisation of repute.			

12	13	14
Draftsman Grade III having Diploma/Certificate of Draftsmanship or equivalent from a recognised Institute/Board and should have rendered not less than three years of regular service in the grade of Draftsman Grade III.	Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	1. Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman 2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Member 3. A member outside CWPRS as per DPC guidelines —Member 4. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune —Member	

1	2	3	4
4. Draftsman Grade-III	*43 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.
5	6	7	
Not applicable.	18 to 25 years. Relaxable for Government servants upto 40 years. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Not applicable.	
8	9	10	11
Essential : 1. Matriculation or equivalent from a recognised University/Board. 2. Diploma in Draftsmanship or equivalent from a recognised Institute.	Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.
12	13	14	
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Joint Director, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS) —Chairman	Not applicable.	

2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station (to be nominated by Director, CWPRS)
—Member
3. A member outside CWPRS as per DPC guidelines
—Member
4. Senior Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune
—Member

[F. No. 2/4/95-E.II]

INDERJIT SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide G.S.R. No. 560 dated 20th June, 1988.

नई दिल्ली, 12 मई, 2001

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अध्यक्ष) भर्ती नियम 1996 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
अध्यक्ष	1* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसंधिवीय	22400-525-24500 रु.
चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन प्रथमा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
5	6	7	
योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायगा ।

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संबिदा सम्मिलित है ।

प्रोन्नति:

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का ऐसा सदस्य जिसने इस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध-सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(2) जिन्होंने 18400—22400 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, और

(ख) जिसके पास भूमिगत जल संसाधन के सर्वेक्षण, खोज, विकास, रेजिम मॉनिटरिंग, अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिंचाई और प्रबंध के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है ।

टिप्पण :

1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य सगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार करने के लिए :—

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. सचिव, विद्युत मंत्रालय | —सदस्य |

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 21/2/99-जी. डब्लू-1]

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2001

G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996 namely :

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Chairman) Recruitment Rules, 1996 the following schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit or non-selection posts	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1		3	4	5	6
Chairman	1*(2001) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs 22400-525-24500	Selection by merit.	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	of probation, if
7		8	9	10	
Not applicable		Not applicable	Not applicable	Not applicable	
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Promotion failing which by deputation including short term contract.		Promotion : Member, Central Ground Water Board with three years regular service in the grade. NOTE : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/recognised Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government Statutory or Autonomous Organisations— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis, or (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs 18400-22400 or equivalent; and (b) having 20 years experience in the fields of Survey, Exploration, Development, Regime monitoring, research, training, Minor irrigation and management of Ground Water Resources.			
		NOTE-1. The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment			

on deputation (including Short Term Contract). Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

NOTE-2. The period of deputation including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation/contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion .	Consultation with Union
1. Chairman/Member Union Public Service Commission	Public Service Commission ne-
2. Secretary, Ministry of Water Resources	cessary while appointing an
3. Secretary, Ministry of Power	Officer on deputation/contract.
—Chairman	
.. Member	
.. Member	

[F.No.21/2/99-GW.I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

(मिथु स्क्वन्ध)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2001

सा.का.नि.192.—भारत के राजपत्र दिनांक 5 अगस्त 2000 के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 2347-2352 पर प्रकाशित विशेषज्ञ (परावरण) तथा विशेषज्ञ (भूमिगत जल) के पदों से सम्बन्धित सदिनांक 19 जुलाई, 2000 की सा.का.नि.

संख्या 299 की अधिसूचना में अनुसूची के कालम 4 (अंग्रेजी) के अन्तर्गत पृष्ठ 2351-2352 में दर्शाये गए वेतनमान रु. 10,000-350-152000 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

'रु. 10,000-325-142000'

[फा. सं. 26/4/95-सि. सं.] (खंड-II)]

(एस मेहता, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (सिधु)

(Indus Wing)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th March, 2001

G.S.R. 192.—In the Notification No. G.S.R. 299 dated 19th July, 2000, pertaining to the posts of Specialist (Environment) and Specialist (Ground Water) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 5th August, 2000, at pages 2347—2352, the pay scales of the posts appearing against column 4 of the Schedule (English version on pages 2351 and 2352) as Rs. 10,000—350—15,200/- shall be substituted with the following, namely :

'Rs. 10,000—325—15,200'.

[No. 26/4/95—I.T./Vol. II]

S. MAHTO, Senior Jt. Commissioner (Indus)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 2001/चैत्र 17, 1923
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 2001/CHAITRA 17, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन
के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम प्रावि मम्मिलिन हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2001

सा का नि 193— केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 27 के निधम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में दावों में बाधपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने तथा उनके सत्यापन से संबंधित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की अधिसूचना स सा का नि 167, तारीख 14 फरवरी, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शीर्ष "IV मंत्रीमंडल सचिवालय" के अधीन प्रविष्टि "महायक निदेशक, ए आर -

सी निदेशालय" और "उप निदेशक, अनुसंधान और पण विग" के बीच निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्तर्स्थापित की जायगी, अर्थात् —

"ए आर सी निदेशालय में बाहर तैनात उप निदेशक, ए आर सी

ए आर सी निदेशालय में बाहर तैनात मयुक्त उप निदेशक, ए आर सी

ए आर सी निदेशालय में बाहर तैनात महायक निदेशक, ए आर सी "

[फा स 16(1)/2000—न्या]

डी आर सीना, मयुक्त सचिव और विधि मन्त्रालय

गाद टिप्पण ---मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधि-
सूचना स सा का नि 167 द्वारा तारीख

14-2-90 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे :

posted outside A.R.C. Director, Assistant Director, A.R.C. posted outside A.R.C. Directorate.”

[F. No. 16(1)/2000-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Foot Note : The Principal notification was published on 14-2-90 vide notification No. GSR 167 and subsequently amended by the following notifications:

1. सा.का.नि.सं. 662, तारीख 10-10-90
2. सा.का.नि. सं. 301, तारीख 24-4-91
3. सा.का.नि. सं. 557, तारीख 16-9-91
4. सा.का.नि. सं. 18, तारीख 16-12-91
5. सा.का.नि. सं. तारीख 17-3-91
6. सा.का.नि. सं. 332, तारीख 14-7-92
7. सा.का.नि. सं. 230, तारीख 27-4-93
8. सा.का.नि. सं. 511, तारीख 28-10-92
9. सा.का.नि. सं. 231, तारीख 27-4-93
10. सा.का.नि. सं. 396, तारीख 19-7-93
11. सा.का.नि. सं. तारीख 3-8-93
12. सा.का.नि. सं. तारीख 31-3-94
13. सा.का.नि. सं. 471, तारीख 1-9-94
14. सा.का.नि. सं. तारीख 21-10-94
15. सा.का.नि. सं. तारीख 8-5-95
16. सा.का.नि. सं. 147, तारीख 8-3-95
17. सा.का.नि. सं. 268, तारीख 12-6-96
18. सा.का.नि. सं. तारीख 12-6-96
19. सा.का.नि. सं. 146, तारीख 20-2-97
20. सा.का.नि. सं. 362, तारीख 22-9-97
21. सा.का.नि. सं. 211, तारीख 11-6-99

1. GSR No. 662, dated 10-10-90
2. GSR No. 301, dated 24-4-91
3. GSR No. 557, dated 16-9-91
4. GSR No. 18, dated 16-12-91
5. GSR No. dated 17-3-91
6. GSR No. 332, dated 14-7-92
7. GSR No. 230, dated 27-4-93
8. GSR No. 511, dated 28-10-92
9. GSR No. 231, dated 27-4-93
10. GSR No. 396, dated 19-7-93
11. GSR No. dated 3-8-93
12. GSR No. dated 31-3-94
13. GSR No. 471, dated 1-9-94
14. GSR No. dated 21-10-94
15. GSR No. dated 8-5-95
16. GSR No. 147, dated 8-3-95
17. GSR No. 268, dated 12-6-96
18. GSR No. dated 12-6-96
19. GSR No. 146, dated 20-2-97
20. GSR No. 362, dated 22-9-97
21. GSR No. 211, dated 11-6-99

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 20th March, 2001

G.S.R. 193 —In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs No. G.S.R. 167 dated the 14th February, 1990 relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction by or against the Central Government, namely :—

In the Scheduled to the said notification, under heading “IV. Cabinet Secretariat”, between entry “Assistant Director, A.R.C. Directorate” and “Deputy Director, Research and Analysis Wing”, the following entry shall be inserted, namely :—

“Deputy Director, A.R.C. posted outside A.R.C. Directorate, Joint Deputy Director, A.R.C.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2001

सा.का.नि. 194.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार एवं पदेन जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (भाषा) भाषाविद् भर्ती नियम, 1989 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (भाषा) भाषाविद् के उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय अनुसंधान अधिकारी (भाषा) भाषाविद् भर्ती नियम, 2001 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।